

सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड,
14-कारगी ग्रांट, हरिद्वार बाईपास रोड़, बंजारावाला, देहरादून।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में 17 बिन्दुओंपर की गयी अपेक्षाओं के अनुसार सूचनायें:-

[i]-संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड का गठन उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965, जो उत्तराखण्ड में भी अनुकूलित है, के द्वारा किया गया है। राज्य में वर्तमान में सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय, उत्तराखण्ड, 14-कारगी ग्रांट, हरिद्वार बाई पासरोड़, बंजारावाला, देहरादून में स्थित है। मुख्यालय के अन्तर्गत दो सैक्टर कार्यालय क्रमशः सतर्कता सैक्टर देहरादून व सतर्कता सैक्टर नैनीताल में अवस्थित हैं। सतर्कता मुख्यालय का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड राज्य एवं कार्यालय सतर्कता सैक्टर देहरादून का कार्यक्षेत्र गढ़वाल मण्डल तथा कार्यालय सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी, नैनीताल का क्षेत्राधिकार समस्त कुमाँयू मण्डल है।

उत्तराखण्ड शासन, सतर्कता अनुभाग की अधिसूचना संख्या 592/सतर्कता-2006-38(9)/2004, दिनांक 10 जनवरी 2007 के अनुसार निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय देहरादून व पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून/हल्द्वानी(नैनीताल) के कार्यालयों को उनके क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त राजस्व जिलों के लिये थाना घोषित किया गया है।

उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1965]

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18 फरवरी, 1965 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 8 मार्च, 1965 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 18 मार्च, 1965 ई० की अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 मार्च, 1965 ई० की प्रकाशित हुआ।

विशेष पुलिस बल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संघटन, अधीक्षण तथा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये, अधिनियम :

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

2. सतर्कता अधिष्ठान का संघटन तथा अधिकार---(1) पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार धारा 3 के अधीन विज्ञापित अपराधों का अनुसन्धान करने के लिये एक विशेष पुलिस दल संघटित कर सकती है जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा।

(2) किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसन्धान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसन्धान करने के सम्बन्ध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त ने राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।

(3) उक्त अधिष्ठान का उप-निरीक्षक अथवा उससे ऊँचे पद का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में, उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुये ऐसे अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करे तो वह अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारों के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायेगा।

3. सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधों का अनुसन्धान किया जाना---राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित द्वारा ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका अनुसन्धान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो।

4. सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन---(1) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहित होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगा और वह उक्त अधिष्ठान के सम्बन्ध में, राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोज्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस अधिनियम, 1861 और तदधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध जैसी कि वे राज्य के सामान्य पुलिस दल के सम्बन्ध में लागू होते हों, उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा तोप के रूप में हों, लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनमें इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत किये जायें।

5. निरसन तथा अपवाद---(1) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, 1965 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम 5 जनवरी, 1965 को प्रारम्भ हुआ हो।

THE UTTAR PRADESH VIGILANCE ESTABLISHMENT ACT 1965
(U.P. Act No, VII of 1965)
(Authoritative English text of the Uttar Pradesh Satarkata Adhishthan
Adhiniyam 1965)

To make provision for the constitution, superintendence and administration of the Uttar Pradesh Vigilance Establishment as a special police force.

IT IS HEREBY ENACTED IN THE SIXTEENTH Year of the Republic of India as follows:

(1) Short title and extent-(1) This Act may be called the Uttar Pradesh vigilance Establishment Act 1965.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2 (1) Constitution and powers of the Vigilance Establishment : (1) Not withstanding anything in the police Act 1861, the State Government may constitute a special police force to be called the Uttar Pradesh Vigilance Establishment for the investigation of offences notified under the section 3.

(2) Subject to any orders which the State Government may make in this behalf members of the said establishment shall have, in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences, all the powers , duties, privileges and liabilities which police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State have in connection with investigation of offences and shall for purpose of conferment of powers under any law for the time being in force be deemed to be police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State.

(3) Any member of the said establishment of or above the rank of Sub Inspector may, subject to any orders which the state Government may make in this behalf , exercise, in discharging his functions under sub section(2), any of the powers of the officer in charge of police station in the area in which he is for the time being and when so exercising such powers shall, subject to any such orders as aforesaid, be deemed to be an officer-in- charge of a police station discharging the functions of such an officer within the limits of his station.

3. Offences to be investigated by the Vigilance Establishment. The State Government may by notification in the Gazette, specify the offence or

— 6 —

classes of offences which are to be investigated by the Uttar Pradesh Vigilance Establishment .

4. Superintendence and administration of the Vigilance Establishment.

(1) The superintendence of the Uttar Pradesh Vigilance Establishment shall vest in the State Government.

(2) The administration of the said establishment shall vest in an officer to be called the Director of Vigilance , appointed in this behalf by the state Government, who shall exercise, in respect of that establishment , such of the powers exercisable by the Inspector. General of Police in respect of the ordinary police force of the State as the State Government may specify in this behalf.

(3) Save as otherwise provided in this Act the provisions of the Police Act, 1861 and of the rules and regulations made thereunder as they apply in relation to members of the ordinary police force of the State shall apply in relation to members of the said establishment , subject to such adaptations, whether by way of modification , addition or omission as may be required for the purposes of the Act.

5. Repeal and saving —

(1) The Uttar Pradesh Vigilance Establishment Ordinance ,1965, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had commenced on the fifth day of January 1965.

उत्तरांचल शासन
सतर्कता विभाग
संख्या - 614 / सतर्कता-4-2002
देहरादून दिनांक : 9 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या रशोषण के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो।

चूंकि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में सथावत लागू हैं :

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 7, 1965) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अन्वये लागू रहेगा :-

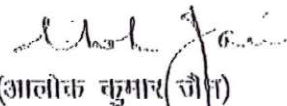
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002,

1- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ - (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2- "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाय।

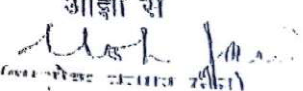
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 में जहाँ-जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा ।


(आनंद कुमार जैन)
सचिव

संख्या 614 (1) / एक-4-2002 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन,
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उत्तरांचल
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ
- 4- लोक आयुक्त, उत्तरांचल
- 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
- 6- निबंधक, माओसच्च न्यायालय, नैनीताल
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- 8- सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से

(आनंद कुमार जैन)

IN PURSUANCE OF THE PROVISIONS OF CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION, THE GOVERNOR IS PLEASED TO ORDER THE PUBLICATION OF THE FOLLOWING ENGLISH TRANSLATION OF NOTIFICATION NO. /VIGILANCE/2002 DATED NOVEMBER, 2002

Uttaranchal Shasan
Vigilance Department
No. - 611 - /Vigilance/2002
Dehradun: Dated: 6 November, 2002

NOTIFICATION

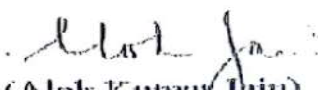
Whereas Under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient ;

And whereas Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965 (Act No. 7 of 1965) shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provision of the following order:-

Uttaranchal (the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965) Adaptation and Modification order, 2002.

- 1- Short title and Commencement-(1) This order may be called Uttaranchal (the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965) Adaptation and Modification order, 2002.
(1) It shall come into force at once.
- 2- The word "Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"
In the Uttar Pradesh Vigilance Act, 1965 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttaranchal".

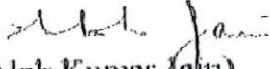

(Alok Kumar Jain)
Secretary

NO. 64 /Vigilance/2002 of date

Copy forwarded for information and necessary action to :-

- 1- All Principal Secretaries/ Secretaries, Uttaranchal .
- 2- Addl. D.G.(Vigilance),Uttaranchal
- 3- Commissioner, Garhwal/Kumaon
- 4- All District Magistrate, Uttaranchal
- 5- All Head of Department, Uttaranchal
- 6- Lok Ayukta,Uttaranchal
- 7- Secretary, Public Service Commission, Uttaranchal
- 8- Registrar, High Court, Nainital
- 9- Dy.Director, Govt. Press, Roorkee,Haridwar
- 10- All Secretariat Departments,Uttaranchal

By order


(Alok Kumar Jain)
Secretary

1(ख) उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग-2
सं० 1602/उन्तालीस (2)-217-04
लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई०
अधिसूचना

उ०प्र० अधि० 7/65-आदेश-77 (षष्ठम) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1965) की धारा 2 की उपधारा (2) और (3) और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों का आंशिक परिष्कार करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के कार्य संचालन को और उसके द्वारा जॉच संचालन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

1- संगठन-(1) उत्तर प्रदेश, सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) को धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन संगठित सतर्कता अधिष्ठान का मुख्यालय, लखनऊ में होगा।

(2) सतर्कता अधिष्ठान का प्रशासन पुलिस अतिरिक्त अथवा उप महानिरीक्षक से अनिम्न प्रास्थिति के अधिकारी में निहित होगा, जिसे सतर्कता निदेशक पदाभिहित किया जायेगा।

(3) सतर्कता निदेशक को विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ होंगी और वह सीधे सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन कार्य करेगा।

2- कृत्य- सतर्कता अधिष्ठान निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगा:-

(क) लोक सेवक से सम्बन्धित व भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार और अन्य कदाचार के ऐसे समस्त मामले की जो, उसकी जानकारी में आये, सूचना सरकार को देगा।

(ख) किसी ऐकिक लोक सेवक या किसी विभाग, वर्ग या श्रेणी के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित अभिसूचना को अपनी पहल से या सरकार के सतर्कता विभाग के आदेश पर संग्रह करना,

(ग) भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामलों में, जो उससे सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें गुप्त या खुली जॉच और अनुसंधान करना। यह शर्त " आदेश संख्या उ०प्र० अधि०-7-65-आदेश 76(पंचम), दिनांक 16 अगस्त 1976 के अन्तर्गत आने वाले अराजपत्रित सरकारी सेवकों और तत्समान श्रेणी के लोक सेवकों विरुद्ध मामलों में जाल बिछाने पर लागू न होगी:-

परन्तु.....

(1) सतर्कता अधिष्ठान की पूर्ववत प्राधिकार है कि वह उस अराजपत्रित सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना जॉच करे जिसका आचरण किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी के आचरण के साथ अन्तर्ग्रस्त हो जिसके विरुद्ध सरकार ने जॉच करने का आदेश पहले ही दिया हो, किन्तु

(2) किसी अराजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध स्वतन्त्ररूप से जॉच या अनुसंधान करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान सरकार से पूर्वादेश प्राप्त करेगा।

3- (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अधीन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केवल नियमित अनुसंधान करेगा।

(2) यदि जाँच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को किसी ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध जिसके आचरण के बारे में उन्हें जाँच करने को नहीं कहा गया हो, कोई सूचना प्राप्त हो, तो सतर्कता निदेशक ऐसी सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिये अविलम्ब भेजेगा।

(3) सतर्कता अधिष्ठान को यह भी प्राधिकार है कि वह गैर सरकारी व्यक्तियों और निजी व्यापार संस्थाओं के विरुद्ध, जिन्हें लोकसेवकों के भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त पाया जाय, अनुसंधान करे, जिनके मामले जाँच/ अनुसंधान के लिए उसे सौंपे जायें।

(4) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध जाँच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को उस सेवक के विरुद्ध घूसखोरी या दुराचार का कोई ऐसा अन्य मामला लिखे जो उनको पहले दिये गये आदेश के अन्तर्गत न आता हो, तो सतर्कता निदेशक, सैक्टर कार्यालय या प्रभारी अधिकारी ऐसी सूचना तत्काल सरकार के सतर्कता विभाग को अग्रेतर अनुदेश के लिये भेजेगा। यदि सतर्कता अधिष्ठान का अधिकारी यह समझे कि तत्काल कार्यवाही न किये जाने पर ऊपर निर्दिष्ट घूसखोरी या दुराचरण के संबंध में साक्ष्य खो सकता है या उसमें हेर-फेर किया जा सकता है तो वह सरकार के आदेश प्राप्त होने तक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, किन्तु इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को तुरन्त देगा।

4- शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया:—(1) सतर्कता अधिष्ठान नीचे उप-प्रस्तर (2) में उल्लिखित शिकायतों से भिन्न अन्य प्राप्त शिकायतों की टिप्पणी सहित या रहित, सरकार के सतर्कता विभाग को आदेशार्थ भेजेगा।

(3) निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और उन्हें निक्षेप कर दिया जायेगा। जब तक कि किन्हीं विशेष कारणों से सतर्कता निदेशक उन्हें सरकार को भेजने को विनिश्चय न करें:—

(एक) अनाम और छद्मनामी शिकायत:—

(दो) मुद्रित पर्चे, पैम्पलेट आदि जिनकी प्रतियाँ सरकार के अनेक अधिकारियों को भेजी गई हों, और

(तीन) शिकायत जो प्रथम दृष्टया सारहीन हो।

5- रिपोर्ट प्रस्तुत करना—(1) जिन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान की जाँच या अनुसंधान करने को कहा जाय, उन सभी मामलों में वह जाँच या अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सरकार के सतर्कता विभाग को ऐसे अन्तराल पर देगा जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) जब जाँच या अनुसंधान पूरा हो जाय, तब अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग अपने निष्कर्ष को समाविष्ट करते हुए सविस्तार आख्या प्रस्तुत करेगा, और

(क) यदि मामला अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उपयुक्त पाया जाय तो आख्या के साथ आरोपों का प्रारूप भी भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक आरोप के साथ दिये जाने वाले प्रस्तावित साक्ष्य को संक्षिप्त और मामले का संक्षिप्त तथ्य होना चाहिए।

(ख) (एक) यदि मामला न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना हो तो अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिये अपनी सविस्तार आख्या, आरोप-पत्र की दो प्रतियाँ और अन्य

सुसंगत सामग्री सहित प्रस्तुत करेगा। किसी भी स्थिति में अधिष्ठान आरोप-पत्र को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

(दो) सत्कर्तता अधिष्ठान द्वारा पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन राज्य सरकार के निर्देश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी अन्य उपबन्ध को, जिसमें पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो, अपेक्षानुसार समूचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।

6-- शासन का सत्कर्तता विभाग सविस्तार आख्या की परीक्षा करने के पश्चात् यह विनिश्चय कर सकेगा कि निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही की जाय:-

- (1) उसे अभियोग चलाने के लिये आरोप-पत्र के साथ न्यायालय को भेजा जाय।
- (2) उसे अनुशासनिक कार्यवाही के लिये प्रशासनिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाय।
- (3) उसे विभागीय कार्यवाही के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाय।
- (4) उस मामले को समाप्त किया जाय।

7-- प्रत्येक मामले में, समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जिसे उपर्युक्त पैरा 6 में बताई गयी कोई कार्यवाही करने के लिये शासन के सत्कर्तता विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश दिया जाय।

8-- सत्कर्तता निदेशक उन व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की पहल कर सकता है जिन्हें लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा के अभाव या अन्य कदाचार की, मिथ्या या सारहीन शिकायत करने वाला पाया जाय।

9-- कर्मचारीवर्ग- राज्य सरकार सत्कर्तता अधिष्ठान के लिये ऐसे कर्मचारीवर्ग और उतने विधिव सलाहकारों और तकनीकी कर्मचारियों को व्यवस्था करेगी जितने सरकार अधिष्ठानों के कृत्यों का उचित रूप से संपादन करने के लिये समय-समय पर आवश्यक समझे।

10- (1) जॉच या अनुसंधान करने वाले अधिष्ठान के किसी सदस्य को ऐसा सभी शासकीय अभिलेख सुलभ होगा जो जॉच या अनुसंधान किये जाने वाले मामले से संबंधित और कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा अभिलेख हो, अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी मांग करने पर, तत्काल ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करेगा और अनुसंधानकर्ता अधिकारी की जॉच या अनुसंधान में सभी अन्य आवश्यक सहायता देगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुसंधान के अन्तर्गत अपराध से संबंधित सम्पत्ति को कब्जा में लेने की शक्ति का प्रयोग, जहाँ तक उसका संबंध शासकीय अभिलेखों से है, अधिष्ठान के सदस्यों द्वारा तभी किया जायेगा जब वांछित अभिलेख के खोजाने, नष्ट किये जाने अथवा उसमें हेर फेर किये जाने की पर्याप्त युक्तियुक्त आशंका हो, जिसे अनुसंधान दैनन्दिनी में अभिलिखित किया जायेगा।

11- यह आदेश, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

आज्ञा से
इन्द्र मोहन सहाय
आयुक्त एवं सचिव

I-B- GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

VIGILANCE SECTION-2

N0.1602/39(2)-217-1964

Lucknow, Dated August 29, 1977

Notification

UPA-7/65-Order/77(Sixth):- In exercise of the powers conferred sub-sections (2) and (3) of section 2 and sub-section (I) of section of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 (Act no. VII of 1965 and in partial modification of the previous orders on the subject, the Governor is pleased to make the following order regulating the working of and conduct of enquiries by the U.P. Vigilance Establishment:

1. Organisation- (1) the Vigilance Establishment constituted under sub-section (1) of section 2 of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 (to be hereinafter called as the Act), shall have its headquarters at Lucknow.

(2) The administration of Vigilance Establishment shall vest in an officer not below the status of Additional or Deputy Inspector- General of Police, who shall be designated as the Director of Vigilance.

(3) The Director of Vigilance shall have the powers of a Head of Department and shall function directly under Government in the Vigilance Department.

2. Functions.- The Vigilance Establishment shall perform the following functions:

(a) Keep the Government informed of all the cases of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour and other malpractice involving public servants that come to its notice;

(b) Collect intelligence on its own initiative or on the orders of Government in the Vigilance Department relating to corruption of any individual public servant or public servants belonging to a department, class or category;

(c) Make enquiries, secret or open, and investigations in to cases of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour or other malpractices, that may be referred to it from time to time by the government in the Vigilance Department. This condition shall not apply to trap cases against non-gazetted government servants and public servants of similar rank covered by order no. UPA-7/65-Order/76(Fifth), dated August 16]1976; Provided that-

(1) the Vigilance Establishment is as before authorised to take up enquiry without prior permission of Government against a nongazetted government servant, whose conduct may be involved with the conduct of a gazetted officer, against whom an enquiry had already been authorised by Government, but

(2) for taking up an independent enquiry-or investigation against a non-gazetted official, prior orders of Government shall be obtained by the Vigilance Establishment.

3- (1) In the cases under the Prevention of Corruption Act, 1974 the Vigilance Establishment shall make only regular investigation in accordance with that provisions of the Act.

(2) If during the course of enquiry, officers of the Vigilance Establishment receive any information against a Government servant, whose conduct they have not

been asked to enquire in to the Director of Vigilance shall without delay forward such information to Government in the Vigilance Department for orders.

(3) The Vigilance Establishment is also authorised to make investigation against non-officials and private concerns found involved in the corruption of public servants whose cases may be entrusted to it for enquiry/investigation.

(4) If during the course of an enquiry against a public servant officers of the Vigilance Establishment receive any information of any other instance of corruption or misconduct of that servant which is not covered by the orders already given to them, the Director of Vigilance/the officer in charge of the sector office shall immediately send such information to Government in the Vigilance Department for further instructions. An officer of the Vigilance Establishment may, if he considers that the evidence in respect of corruption or misconduct referred to above may be lost or tampered with, if immediate action were not taken, take such action as he may consider necessary, pending receipt of orders of Government, but shall forth with report the action so taken to government in the Vigilance Department.

4- **Procedure for dealing with complaints-** (1) The complaints received by the Vigilance Establishment other than those mentioned in sub-para (2) below, shall be forwarded, with or without comments to Government in the Vigilance Department for orders.

(2) No action shall be taken on complaints of the following nature and they shall be deposited, unless for any special reasons the Director of Vigilance decides to forward the same to Government :

- (i) Anonymous and pseudonymous complaints;
- (ii) Printed handouts, pamphlets etc., copies of which have been sent to several officers of government; and
- (iii) Complaints which are, prima facie, frivolous.

5- **Submission of reports.-** (1) In all cases in which the Vigilance Establishment is asked to make the enquiry or investigation, it will furnish to Government in the Vigilance Department reports at such intervals as may be specified by the Government, on the progress of the enquiry or investigation.

(2) When the enquiry or investigation is completed, the Establishment shall submit to Government in the Vigilance Department a detailed report embodying its conclusions and-

(a) if the case is found fit for disciplinary proceedings, draft charges should also be sent with the report. Each charge should be accompanied with an abstract of evidence proposed to be tendered and brief facts of the case;

(b) (i) if the case is to be referred to court of law, the Establishment shall submit to Government in the Vigilance Department, its detailed report together with two copies of the charge-sheet and other relevant material, for orders. In no case shall the charge-sheet be submitted by the Establishment direct to the court;

(ii) the charge-sheet shall be filed in the court by the Vigilance Establishment only after direction of the State Government under sub-para (I) of para 6 and previous sanction of the appropriate authority as required by section 197 of the code of Criminal procedure, or section 6 of the Prevention of

Corruption act, 1947, or by any other provision of any law for the time being in force requiring such previous sanction.

- 6- Government in the Vigilance Department after examining the detailed report may decide that any of the following actions may be taken :
 - (1) It may be forwarded to Court with charge-sheet for prosecution ;
 - (2) It may be referred to the Administrative Tribunal for disciplinary proceedings ;
 - (3) It may be referred for departmental action to the Administrative Department concerned ;
 - (4) It may be closed.
- 7- In each case, action shall be taken by the appropriate authority to whom necessary directions may be given by Government in the Vigilance Department for taking any of the actions enumerated in Para 6 above.
- 8- The Director of Vigilance may take the initiative in prosecuting persons, who are found to have made false or frivolous complaints of corruption or lack of integrity or other malpractices against public servants.
- 9- Staff.- The Vigilance Establishment will be provided by the state Government with such staff and such number of legal advisers and technical staff as Government may consider necessary from time to time for the proper discharge of its functions.
- 10- (1) Any member of the Establishment making enquiry or investigation shall have access to all official records having a bearing on the case under enquiry or investigation and the Head of Office or Head of Department having custody of such record, on being asked by the investigation officer to do so, shall forthwith furnish such record and render all other necessary assistance in the enquiry or investigation to the investigation officer.
(2) The powers of taking into possession property connected with the offence under investigation under the code of criminal procedure shall, in so far as they relate to official records, be exercised by the members of the Establishment only when there is sufficiently reasonable apprehension to be recorded in writing in the case diary of the wanted records being lost, destroyed tampered with.
- 11- These orders shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

orderderd by
Inder Mohan Sahay,
Commisioner and Secretary.

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय/सतर्कता सैक्टर देहरादून एवं सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी, नैनीताल के वर्तमान प्रभारी अधिकारियों के नाम व फोन नम्बर निम्नवत् हैं:-

सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड – देहरादून	डॉ. वी. मुरुगेसन, निदेशक फोन नं. 0135 –2520321, ई-मेल: vighq-uk@nic.in
सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय – देहरादून।	श्रीमती रचिता जुयाल, पुलिस अधीक्षक फैक्स नं. 0135–2721381, ई-मेल: vighq-uk@nic.in
सतर्कता अधिष्ठान – सैक्टर देहरादून	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक फोन नं. 0135–2520148, ई-मेल: vigsectddn-uk@nic.in
सतर्कता अधिष्ठान – नैनीताल	श्रीमती रचिता जुयाल, पुलिस अधीक्षक फोन नं. 05946–246372,ई-मेल: vigsecthld-uk@nic.in

सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय, उत्तराखण्ड के अधीन निम्नांकित पद स्वीकृत है:-

(अ) सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय, देहरादून:-

सं.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
1	निदेशक, सतर्कता, ADG (आई.पी.एस.)	1	1	0	144200–218200, लेवल-15
2	पुलिस उप महानिरीक्षक	1	0	1	131100–216600, लेवल-13ए
3	पुलिस अधीक्षक(आई.पी.एस.)	1	1	0	78800–209200, लेवल-12
4	विधि परामर्शी(संयुक्त निदेशक)अभियोजन	1	1	0	78800–209200, लेवल-12
5	पुलिस उपाधीक्षक	2	1	1	56100–177500, लेवल-10
6	अभियोजन अधिकारी	1	0	1	44900–142400, लेवल-7
7	लेखा परीक्षण अधिकारी	1	1	0	56100–177500, लेवल-10
8	अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.	1	0	1	56100–177500, लेवल-10
9	निरीक्षक ना0पु0	6	6	0	47600–151100, लेवल-8
10	गोपनीय सहायक/निरीक्षक(एम)	1	0	1	47600–151100, लेवल-8
11	अनुभाग अधिकारी/निरीक्षक(एम)	1	1	0	47600–151100, लेवल-8
12	आशुलिपिक/उ0नि0(एम)	3	0	3	44900–142400, लेवल-7
13	वरिष्ठ लिपिक/उ0नि0(एम)	2	1	1	44900–142400, लेवल-7
14	कनिष्ठ लिपिक/सहायक उ0नि0(एम)	3	1	2	29200–92300, लेवल-5
15	अपर उ0नि0 ना0पु0	0	2	0	35400–112400, लेवल-6
16	हेड कान्स0 ना0पु0	2	5	0	25500–81100, लेवल-4
17	कान्स0 ना0पु0	6	6	0	21700–69100, लेवल-3
18	कान्स0 चालक	3	3	0	21700–69100, लेवल-3
19	कान्स0 डाक रनर	3	0	3	21700–69100, लेवल-3
20	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	0	2	21700–69100, लेवल-3
21	अर्दली प्यून	5	0	5	18000–56900, लेवल-1
22	चौकीदार	2	0	2	18000–56900, लेवल-1

सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय उत्तराखण्ड में आउटसोर्स (उपनल) के माध्यम से नियत वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्ति का विवरण:-

सं.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
23	कान्स0 चालक-नियत वेतनमान	0	4	0	नियत वेतनमान
24	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	0	2	0	नियत वेतनमान
25	अनुसेवक (चतुर्थ श्रेणी) नियत वेतनमान	0	14	0	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय, उत्तराखण्ड में लोकायुक्त कार्यालय से नियुक्त कार्मिकों का विवरण:-

26	सहायक लेखाकार	0	1	0	35400-112400, लेवल-6
----	---------------	---	---	---	----------------------

सतर्कता सैक्टर देहरादून में नियतन का विवरण:-

क्र०सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतन मैट्रिक्स/ लेवल
1	पुलिस अधीक्षक	1	1	0	78800-209200, लेवल-12
2	पुलिस उपाधीक्षक	2	1	1	56100-177500, लेवल-10
3	अभियोजन अधिकारी	1	1	0	44900-142400, लेवल-7
4	निरीक्षक ना०पु०	5	6	0	47600-151100, लेवल-8
5	आशुलिपिक(एस०आई०एम०	2	0	2	44900-142400, लेवल-7
6	स०उ०नि०एम०	1	1	0	29200-92300, लेवल-5
7	अपर उपनिरीक्षक	0	3	0	35400-112400, लेवल-6
8	मुख्य आरक्षी	1	(03 मुख्य आरक्षी)	0	25500-81100, लेवल-4
9	आरक्षी ना०पु०	10	6	4	21700-69100, लेवल-3
10	आरक्षी चालक	2	0	2	21700-69100, लेवल-3
11	डाटा एण्ट्री आपरेटर	1		1	21700-69100, लेवल-3
12	अर्दली प्यून	2	-	2	18000-56900, लेवल-1
13	चौकीदार	1	-	1	1800-56900, लेवल-1

सतर्कता सब-सैक्टर श्रीनगर, पौड़ी में नियतन का विवरण

क्र०सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
1	पुलिस उपाधीक्षक	1	-	1	56100-177500, लेवल-10
2	निरीक्षक ना०पु०	1	-	1	47600-151100, लेवल-8
3	उपनिरीक्षक] ना०पु०	2	1	1	44900-142400, लेवल-7
4	उपनिरीक्षक [एम] वरिष्ठ लिपिक	1	-	1	44900-142400, लेवल-7

5	स0उ0नि0[एम0]	1	-	1	29200-92300, लेवल-5
6	आरक्षी ना0पु0	4	1	3	21700-69100, लेवल-3
7	आउटसोर्स आरक्षी चालक	1	-	1	नियत वेतनमान
8	आउटसोर्स अनुसेवक	2	-	2	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून में आउटसोर्स (उपनल कर्मी) उपनल के माध्यम से नियत वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्ति का विवरण:-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतनमान
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर	0	1	0	नियत वेतनमान

सतर्कता सैक्टर देहरादून में लोकायुक्त कार्यालय से नियुक्त कार्मिकों का विवरण:-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्धता	रिक्तियाँ	वेतनमान
1	अनुभाग अधिकारी	0	1	0	56100-177500-लेवल-10
2	समीक्षा अधिकारी	0	1	0	44900—142400, लेवल—7
3	सहायक समीक्षा अधिकारी	0	1	0	29200—92300, लेवल—5

(स) सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर हल्द्वानी, नैनीताल :-

उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियों	वेतनमैट्रिक्स / लेवल
01	पुलिस अधीक्षक	01	—	01	78800—209200 लेवल— 12
02	पुलिस उपाधीक्षक	02	02	0	67700—208700 लेवल— 11
03	अभियोजन अधिकारी	01	01	0	44900—142400 लेवल—10
04	निरीक्षक ना०पु०	05	06	0	56100—177500 लेवल— 10
05	आशुलिपिक / उ०नि०एम	02	—	02	44900—142400 लेवल—7
06	वरिष्ठ लिपिक / उ०नि० (एम)	—	03	0	44900—142400 लेवल—7
07	कनिष्ठ लिपिक / सहायक उ०नि०(एम)	01	—	01	44900—142400 लेवल—
08	अपर उ०नि० ना०पु०	—	01	0	44900—142400 लेवल—7
09	मुख्य आरक्षी ना०पु०	01	06	0	25500—81100 लेवल—4
10	मुख्य आरक्षी डी०आर	—	01	0	25500—81100 लेवल—4
11	आरक्षी ना०पु०	10	08	02	25500—81100 लेवल—4
12	आरक्षी चालक	02	—	02	25500—81100 लेवल—4
13	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	—	01	21700—69100 लेवल—03
14	अर्दली प्यून	02	—	02	18000—56900 लेवल—01
15	चौकीदार	01	—	01	18000—56900 लेवल—01

सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में आउटसोर्स(उपनल) के माध्यम से नियत वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियों	वेतनमैट्रिक्स / लेवल
01	कान्स चालक— नियत वेतनमान	0	03	0	नियत वेतनमान
02	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियत वेतनमान	0	01	0	नियत वेतनमान
03	अनुसेवक(चतुर्थ श्रेणी) नियत वेतनमान	0	03	0	नियत वेतनमान
04	पर्यावरण मित्र (उपनल) नियत वेतनमान	0	01	0	नियत वेतनमान

उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान सब सेक्टर अल्मोड़ा में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियों	वेतन मैट्रिक्स / लेवल
01	पुलिस उपाधीक्षक	01	—	01	67700—208700 लेवल—11
02	निरीक्षक ना०पु०	01	—	01	56100—177500 लेवल—10
03	उ०नि० ना०पु०	02	01	1	44900—142400 लेवल—7
04	वरिष्ठ लिपिक/उ०नि० (एम)	01	—	01	44900—142400 लेवल—7
05	कनिष्ठ लिपिक/सहायक उ०नि०(एम)	01	—	01	44900—142400 लेवल—7
06	आरक्षी ना०पु०	04	02	02	25500—81100 लेवल—4

सतर्कता अधिष्ठान सब सेक्टर अल्मोड़ा में आउटसोर्स(उपनल) के माध्यम से नियत वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों का स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्तियों	वेतनमैट्रिक्स / लेवल
01	कान्स चालक— नियत वेतनमान	1	—	01	नियत वेतनमान
02	अनुसेवक(चतुर्थ श्रेणी) नियत वेतनमान	2	01	01	नियत वेतनमान

315201: 115/सतर्कता/2002

प्रेषक,

सुनेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक(सतर्कता),
उत्तरांचल,
देहरादून।

कार्यिक अनुभाग-1

विषय: उत्तरांचल में सतर्कता निदेशालय का गठन।

महोदय,

देहरादून: दिनांक 16 दिसम्बर, 2002

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल में सतर्कता निदेशालय के लिये संलग्नक के कालम-7 में उल्लिखित अस्थायी पदों को, उनके भरे जाने के दिनांक से यदि उन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, दिनांक 28 फरवरी, 2003 तक के लिये सूझा किये जाने तथा कालम-6 में उल्लिखित पदों को समर्पित किये जाने की व्यवस्था सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदों के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा सराना द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुम्य हो, भी देय होंगे।

3. इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय व्ययक की अनुदान संख्या 06 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक शेषांश-10-101-सचिवालय-00-01-सतर्कता अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे उल्लिखित जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अराजकीय संख्या 2014/वित्त अनु-3/02 दिनांक 08.12.2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यशोपरि।

भवदीय

(सुनेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या-115(1)सतर्कता/2002 तदनुसंग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3
5. नार्ड फाइल।

navneet singh 10/6/03

सावधानी संख्या:-115/सतर्कता/2002 दिनांक: 16 दिसम्बर, 2002 का
संलग्नक।

सतर्कता निदेशालय, उत्तरांचल
(मुख्यालय के लिए)

	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	पुलिस विभाग के हॉचे में पूर्ण से स्वीकृत पर	समाप्त किये जाने वाले पदों की संख्या	भरे सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7 अभ्युक्ति
1	निदेशक सतर्कता (ADG)	22,400-525-24,500	1 (IPS)	1	-	भा0पु0से0 संवर्ग से सृजित है।
2	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	12,000-375-16,500	1 (IPS)	1	-	भा0पु0से0 संवर्ग से सृजित है।
3	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्या0 एवं जांच)	8,000-275-13,500	2	2	-	प्रा.पु.से.संवर्ग में सृजित है।
4	निरीक्षक (ना.पु.मुख्या.जांच सेल हेतु)	6500-200-10,500	6	6	-	--
5	आरक्षी (ना.पु.मुख्या. जांच सेल हेतु)	3050-75-3950-80-4590	6	6	-	--
6	आरक्षी (चालक)	3050-75-3950-80-4590	3	2	-	1
7	आरक्षी (डाकनर)	3050-75-3950-80-4590	3	3	-	--

सहवर्ती स्टाफ

8	विधि परामर्शी (संयुक्त निदेशक, अभियोजन)	12,000-375-16,500	1	--	-	1
9	अभियोजन अधिकारी (मुख्या. जांच सेल हेतु)	7,450-225-11,500	1	--	-	1
10	अधीशासी अभियन्ता (लो.नि.वि.)	10,000-325-15,200	1	--	-	1
11	लजा परीक्षण अधिकारी	8,000-275-13,500	1	--	-	1
12	गोपनीय सहायक (निरी. एम.)	6500-200-10,500	1	--	-	1

15	सुभाष (निरी. एम.)	अधिकारी ✓	6500-200-10-500	1	--	--	--
16	वर्तमान लिपिक (उ.नि. एम.)	✓	4500-7000 ✗	2	2	--	--
17	आशुलिपिक (उ.नि. एम.)	✓	5500-175-9000	3	3	--	--
18	कनिष्ठ लिपिक (स.उ. नि. एम.)	✓	3050-75-3950-80-4590 ✗	3	3	--	--
19	डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	✓	3050-75-3950-80-4590	2	--	--	--
20	अदली प्लूट	✓	2550-55-2660-60-3200	5	5	--	2

3. 11 →
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

देहरादून सेक्टर

सं.	पदनाम	वैतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	पुलिस विभाग के ढाँचे में पूर्ण से सृजित पदों की संख्या	समापित किये जाने वाले पदों की संख्या	नये सृजित होने वाले पदों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	पुलिस अधीक्षक	12,000-375-16,500	1	1	-	-
2	पुलिस सहायक अधीक्षक	8,000-275-13,500	2	1	-	1
3	निरीक्षक (ना.पु.)	6500-200-10,500	5	13	8 पद	-
4	आरक्षी (ना.पु.)	3050-75-3950-80-4590	10	16	6 पद	-
5	आरक्षी (चालक)	3050-75-3950-80-4590	2	1	-	1

सहचरणी स्टाफ

6	अभियोजन अधिकारी	7,450-225-11,500	1	1	-	-
7	आयुक्तिक (उ.नि.एम.)	4000-100-6000	2	1	-	1
8	स.उ.नि.एम (पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु)	4000-100-6000	1	1	-	-
9	अर्दली चमू	2550-55-2660-60-3200	2	2	-	-
10	चौकौदार	2550-55-2660-60-3200	1	1	-	-
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3050-75-3950-80-4590	1	-	-	1

(चुम्बक लिट टाया)
अपर सचिव

सेक्टर विनियोग

क्र.सं.	विभाग	वर्तमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	पूर्व से विद्यमान पद	समापित किये जाने वाले पदों की संख्या	नये गृहित होने वाले पदों की वार्षिक संख्या
1	पुलिस अधीक्षक	12,000-375-16,500	1	1	-	-
2	पुलिस उपाधीक्षक	8,000-275-13,500	2	2	-	-
3	निरीक्षक (ना.पु.)	6500-200-10,500	5	7	2 पद	-
4	आरक्षी (ना.पु.)	3050-75-3950-80-4590	10	10	-	-
5	आरक्षी (चालक)	3050-75-3950-80-4590	2	1	-	1

सहायता स्टाफ

भयोजन प्रकार	7,450-225-11,500	1	1	-	-
राशिपिक (उ. एम.)	4000-100-6000	2	1	-	1
पु. नि. एम. (पु. नि. अधीक्षक पालय हेतु)	4000-100-6000	1	1	-	-
अ. नि. एम. (अ. नि. अधीक्षक पालय हेतु)	2550-55-2660-60-3200	2	1	-	1
अ. नि. एम. (अ. नि. अधीक्षक पालय हेतु)	2550-55-2660-60-3200	1	1	-	-
अ. नि. एम. (अ. नि. अधीक्षक पालय हेतु)	3050-75-3950-80-4590	1	-	-	1

3. 11
(सुन्दर सिंह शर्मा)
अपर सचिव

2/11/06

70

संख्या-746/सतर्कता-2005-38(3)/2002

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
अजबपुर खुर्द-हरिद्वार बाई पास रोड,
देहरादून।

सतर्कता अनुभाग :

देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर 2005

विषय- सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय हेतु चौकीदारों के पद सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

DSP Wing

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक स0अ0/डी0जी0-4-67/01-2005 दिनांक सितम्बर 22, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सतर्कता अधिष्ठान उत्तरांचल के मुख्यालय हेतु 02 (दो) चौकीदार के अस्थाई पद वेतनमान 2550-55-2600-60-3200 को उनके भरे जाने के दिनांक से, यदि उन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, को दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक के लिए सृजित किए जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदों के धारकों को उक्त पद के वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हैं, भी देय होंगे।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 की अनुदान संख्या - 06 के लेखाशीर्षक - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ - 00 - आयोजनेत्तर - 104 - सतर्कता - 04- सतर्कता अधिष्ठान - 00 के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशा0सं0 87/2005 दिनांक 17.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या- (1)/सतर्कता-2005-38(3)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।



प्रेषक,

टी०के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान उत्तरांचल,
देहरादून ।

सतर्कता अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 1

अगस्त, 2006

विषय— सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय हेतु मुख्य आरक्षी पद के सृजन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक स०अ०/डीजी-चार-69/2001-06 दिनांक 26 जून, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सतर्कता अधिष्ठान उत्तरांचल के मुख्यालय हेतु 01(एक) मुख्य आरक्षी का अस्थाई पद वेतनमान 3200-85-4900 में दिनांक 28-2-2007 तक के लिये वशर्ते कि इसे बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पद के धारक को पद के वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 की अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें - 00-आयोजनेत्तर -104-सतर्कता-04-सतर्कता अधिष्ठान-00 के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 501/ XXVII(5)/06 दिनांक 23 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है
भवदीय,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या— (1) /सतर्कता-2006-38(3)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)उत्तरांचल,देहरादून ।
- 2—वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
- 3—वित्त अनुभाग-5,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
- 4—गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव ।

1857
संख्या- / सतर्कता-2009-38(9)/2004

प्रेषक,

अहमद अली,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सतर्कता अनुभाग :

देहरादून दिनांक 29 सितम्बर 2009

विषय- सतर्कता अधिष्ठान में 03 थानों हेतु 03 हैड कान्सटेबल के पदों के सृजन की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आपके पत्रांक स0अ0मु0/एक-06-/2008 दिनांक फरवरी 18, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृत 03 थानों हेतु पे- बैंड-1 वेतनमान 5,200-20,200 ग्रेड पे 2000/- में हैड कान्स0(हैड मोहरर) ना0पु0 के 03 (तीन) अस्थाई पद उनके भरे जाने के दिनांक से, यदि उन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, को दिनांक 29 फरवरी, 2010 तक के लिए सृजित किए जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदों के धारकों को उक्त पद के वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हैं, भी देय होंगे।

3. उक्त पदों के वेतनादि हेतु निम्नलिखित मदों में :-

मानक मद का नाम	धनराशि (हजार रु० में)
01-वेतन	282
03-मंहगाई भत्ता	45
06-अन्य भत्ता	87

योग रु० 414

रु० 4,14,000/- (रु० चार लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या - 06 के लेखाशीर्षक - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें - 00 - आयोजनेत्तर - 104 - सतर्कता - 04- सतर्कता अधिष्ठान - 00 के अर्न्तगत उपरिअंकित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-304 NP/XXVII(5)/09 दिनांक 7 सितम्बर, 2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
20/9/09
(अहमद अली)
अनु सचिव।

संख्या- 1857 (1)/सतर्कता-2009-38(9)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. गार्ड फाइल/ सतर्कता अधिष्ठान की बजट पत्रावली 2009-10 में रखने हेतु।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।

पु० अ० 10 (मु०)

निदेशक, सतर्कता

H.C.
कृपया प्रत्युत्तर करें।
29/10
पु० अ० 10

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सतर्कता(सु0प्र0उ0ज0) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2013

विषय: उत्तराखण्ड में सतर्कता निदेशालय के गठन सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0अ0मु0/स्थायी-01/2008(गठन)/854 दिनांक 08.04.13 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में सतर्कता निदेशालय का गठन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-115/सतर्कता/2002 दिनांक 16.12.02 के द्वारा सतर्कता निदेशालय, उत्तराखण्ड (मुख्यालय के लिये) सहवर्ती स्टाफ की स्वीकृति विषयक सारणी के कॉलम क्रमांक-13 को निम्नवत संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सतर्कता निदेशालय, उत्तराखण्ड (मुख्यालय के लिये सहवर्ती स्टाफ)

क्र० स०	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	पुलिस विभाग के द्वांचे में पूर्व से स्वीकृत पद	समर्पित किये जाने वाले पदों की संख्या	नये सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
13.	अनुभाग अधिकारी (निरीक्षक एम)	9300-34800 ग्रेड पे 4600	1	1	-	-

2. शासनादेश दिनांक 16.12.02 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 622/XXVII(7)/2013 दिनांक 27.07.2013 से प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या- / XLIII(1)-13-38(03)02 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-5/7।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

RRDIR(VIC)-2104
D.J.- 21-12-2015

संख्या 307/XLIII(1)/15-38(03)/सतर्कता/2002

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान, मु०,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सु०प्र०उ०ज० (सतर्कता) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2015।

विषय: सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत सब सैक्टर पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा स्थापित करते हुए उक्त सब सैक्टरों के संचालन हेतु पद सृजित किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अधिसूचना संख्या 592/सतर्कता-2006-38(9)/2004 दिनांक 10.01.2007 व शासनादेश संख्या 115/सतर्कता/2002 दिनांक 16.12.2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित 02 सैक्टरों देहरादून व हल्द्वानी जोकि अधिसूचना संख्या 592/सतर्कता-2006-38(9)/2004 दिनांक 10.01.2007 के द्वारा पुलिस थाना घोषित है, को भ्रष्टाचार निवारण में सहयोग प्रदान करते हैं, उक्त सैक्टरों के अधीन ही 02 सब सैक्टरों, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा स्थापित कर उनका कार्यक्षेत्र निम्नांकित सारणी 01 के अनुसार निर्धारित करते हुए, उक्त 02 नवस्थापित सब सैक्टरों के संचालन हेतु निम्नांकित सारणी 02 में उल्लिखित पदों को उनके नाम के समक्ष अंकित वेतनमान में निम्न शर्तों के अधीन सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सारणी-01

क्र०सं०	सतर्कता सब सैक्टर	कार्य क्षेत्र	अभ्युक्ति
1.	पूर्व से स्थापित सतर्कता सैक्टर देहरादून	देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी एवं टिहरी- सीधे तथा शेष 03 जनपदों में सब सैक्टर पौड़ी के माध्यम से कार्य संचालन किया जायेगा।	पूर्व से स्थापित
2.	सब सैक्टर पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली	नव सृजित
3.	पूर्व से स्थापित सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी	नैनीताल, ऊधमसिंहनगर एवं चम्पावत- सीधे तथा शेष 03 जनपदों में सब सैक्टर अल्मोड़ा के माध्यम से कार्य संचालन किया जायेगा।	पूर्व से स्थापित
4.	सब सैक्टर अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़	नव सृजित

S.P. Vig / H.C.

Div. Reg.
21/12/15

H.C.

S.P. Vig (na)

22-12-15

सारणी-02

क्र. सं.	सृजित किये जाने वाले पदनाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	सृजित हेतु प्रस्तावित पद	अभ्युक्ति
1.	पुलिस उपाधीक्षक	15600-39100 GP- 5400	02	पुलिस विभाग के ढाँचे में
2.	निरीक्षक ना0पु0	9300-34800 GP -4600	02	उपरोक्तानुसार
3.	उपनिरीक्षक ना0पु0	9300-34800 GP-4200	04	उपरोक्तानुसार
4.	उपनिरीक्षक (एम)/वरिष्ठ लिपिक	9300-34800 GP-4200	02	उपरोक्तानुसार
5.	सहा0 उपनिरीक्षक (एम) लिपिक	5200-20200 GP-2800	02	उपरोक्तानुसार
6.	कान्स0	5200-20200 GP-2000	08	उपरोक्तानुसार
7.	आरक्षी चालक	नियत वेतनमान	02	आउटसोर्स के माध्यम से
8.	अनुसेवक (चतुर्थ श्रेणी)		04	आउटसोर्स के माध्यम से
कुल योग			26	

- उपरोक्त पदों का सृजन दिनांक 29.02.2016 तक ही किया जा रहा है, बशर्ते कि इससे पूर्व ही उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये।
- नवसृजित 02 सब सैक्टर, अपने चिन्हित कार्य क्षेत्र में कारित अपराधों के यथावश्यक पंजीकरण की कार्यवाही अपने-अपने सैक्टरों के पुलिस थानों में करेंगे।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-08 लेखाशीर्षक 2070-00-104-04-सतर्कता अधिष्ठान-00 के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जाएगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-166/NP/XXVII(5)/2015-16 दिनांक 15.12.2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या /XLIII(1)/15-38(03)/सतर्कता/2002 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड।
- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- वित्त अनुभाग-6।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव।

RPDIR/001-2053/2019

04/12/2019

संख्या-34 /XXX-5 /2019-38(03)02

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 12 सितम्बर, 2019।

विषय: सतर्कता निदेशालय के ढाँचे में पुलिस उपमहानिरीक्षक का एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0अ0मु0-07/2009/210 दिनांक 29 जनवरी, 2019 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सतर्कता निदेशालय के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-155/सतर्कता/2002 दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 में सृजित पदों के अतिरिक्त सतर्कता निदेशालय के ढाँचे में पुलिस उपमहानिरीक्षक (भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग) का 01 अस्थायी पद वेतनमान रु0 131100-216600 लेबल-13क में दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक बशर्ते इससे पूर्व ही उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, के लिए सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदधारक को वेतन के अलावा मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

3. शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 एवं तदकम में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-06 के लेखाशीर्षक-2070-00-104-04-00 सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम में डाला जायेगा।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 437/XXVII(7)/2019 दिनांक 09.09.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

SO(Mg)

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /XXX-5 /2019-38(03)02 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5/7।
6. गार्ड फाईल।

Dr. (Mg)

13/9/19

ACJ

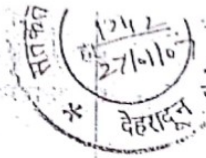
13/9/2019

50

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)

अनु सचिव।



सतर्कता अनुभाग
संख्या 592 / सतर्कता-2006-38(9) / 2004
देहरादून दिनांक: 10 जनवरी, 2007

अधिसूचना

राज्य सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(अधिनियम संख्या 2/1974) की धारा-2 की उप धारा(घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची के स्तम्भ-दो में वर्णित सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालयों को पुलिस थाना घोषित करती है। इन पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार इसी अनुसूची के स्तम्भ-तीन में इनके सामने अंकित क्षेत्रों पर होगा तथा उन अपराधों के सम्बन्ध में होगा जिन्हें उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 की धारा-3 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 592/39-वी0जी0एल0-85 दिनांक 12 फरवरी, 1965, अधिसूचना संख्या 2614/39(2)-217-64 दिनांक 3 अक्टूबर, 1975 तथा अधिसूचना संख्या: 291/39-4-91-44(30)/81 दिनांक 18.9.1991 द्वारा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा विवेचना हेतु अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना इसके जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची		
क्रमांक	कार्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय देहरादून	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजस्व जिले
2	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून सेक्टर	गढ़वाल मण्डल के समस्त राजस्व जिले
3	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सेक्टर	कुमायूँ मण्डल के समस्त राजस्व जिले

राज्यपाल की आज्ञा से

रूप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव
तददिनांक

संख्या 592 (1) / सतर्कता-2006-38(9) / 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 3- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सतर्कता विभाग, लखनऊ
- 4- निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ
- 5- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून एवं नैनीताल सेक्टर
- 6- ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून / नैनीताल

B.S.1/M
PL K.O.F.

29/1
CP/M

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जन सेवा (सतर्कता) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2013

विषय: -सतर्कता समिति का गठन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे लोक सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी शासन है, के सन्दर्भ में सतर्कता जांच संस्थित करने एवं अभियोजन की अनुमति प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्यक निर्णय लेने से पूर्व परीक्षण एवं परामर्श की प्रक्रिया को बेहतर करने हेतु 'राज्य सतर्कता समिति का गठन का निर्णय लिया गया है।'

2- 'राज्य सतर्कता समिति' का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	सदस्य
(4) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय	सदस्य
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, सतर्कता	सदस्य/संयोजक

नोट:- आवश्यकतानुसार महानिदेशक, सतर्कता अथवा अन्य किसी विभागीय अधिकारी को 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के रूप में सतर्कता समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

3- उक्त 'राज्य सतर्कता समिति' के निम्न कर्तव्य होंगे:-

- प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर सतर्कता अधिष्ठान को गोपनीय/खुली जांच अभिर्दिष्ट करने के बिन्दु पर विचार कर संस्तुति देना।
- सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के आधार पर अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर संस्तुति देना।
- सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों पर विचार कर अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्तुति देना।

4- इस विषय पर पूर्व जारी शासनादेश इस शासनादेश से असंगति की सीमा तक अवकमित सम: जायेंगे।

भवदीय,

S.P. H. / (H. S. P.)
H. S. P.
11.12.2013

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

[ii]—विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन उ.प्र.सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 जो उत्तराखण्ड में भी अनुकूलित है, के प्राविधानों एवं सतर्कता नियम संग्रह उ.प्र. भाग-1 में वर्णित राजाज्ञाओं एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

निदेशक सतर्कता के कर्तव्य:—

उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 एवं सतर्कता नियम संग्रह उ0प्र0 भाग-1 में अंकित राजाज्ञाओं के परिपेक्ष्य में लोक सेवकों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामले में जो शासन द्वारा सतर्कता विभाग से समय-समय पर निर्दिष्ट किये गये हो, उनकी गोपनीय जाँच या खुली जाँच और अनुसंधान कार्य कराना। निदेशक, सतर्कता अपने नियन्त्रणाधीन अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन के अनुसार मन्तव्य तथा उन्हें उत्तरदायी बनाये जाने की यथा नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हैं।

पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य:—

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय की नियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून/हल्द्वानी, नैनीताल हेतु एक-एक पुलिस अधीक्षक का पद शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक, निदेशक, सतर्कता के नियन्त्रणाधीन सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय/सैक्टर कार्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्पादन करते हैं।

पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक:—

पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जाँच/अन्वेषण के कार्यों का सम्पादन किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक के समस्त कार्यों का सम्पादन करते हैं। निरीक्षकों द्वारा भी जाँच/अन्वेषण के कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

विधि परामर्शी/अभियोजन अधिकारी:—

सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर कार्यालय द्वारा सम्पादित की जाने वाली जाँच/अन्वेषण एवं अन्य विधिक मामलों में विधिक राय देने तथा जाँचों एवं विवेचनाओं में गुणवत्ता बनाये रखने का कार्य करते हैं।

वित्त नियंत्रक/लेखा परीक्षण अधिकारी:—

वित्त एवं बजट सम्बन्धी कार्य तथा वित्तीय नियमों से सम्बन्धी परामर्श देते हैं।

[iii]—विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:—

लोकसेवकों के भ्रष्टाचारण रिश्वतखोरी आदि के मामलों में शासन के आदेशों के अनुरूप ही गोपनीय जाँच/खुली/अन्वेषण की कार्यवाही हेतु निदेशक, सतर्कता द्वारा अपने अधीनस्थ सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय/सैक्टर के अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते हैं। वॉछित जाँच/अन्वेषण हेतु सैक्टर पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षकों को आदेशित कर अपने निकट पर्यवेक्षण में जाँच/अन्वेषण पूर्ण कराने के उपरान्त मुख्यालय को प्रेषित करते हैं। जहाँ पर नियुक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जाँच आख्या का अध्ययन/परीक्षण किया जाता है तथा विधिपरामर्शी/अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर विधिक राय दी जाती है। तदुपरान्त निदेशक, सतर्कता द्वारा जाँच/अन्वेषण से संतुष्ट प्रकरण को अग्रिम आदेश हेतु शासन को प्रेषित किया जाता है।

[iv]—कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड:—

सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड का गठन उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अनुरूप किया गया है, उत्तराखण्ड राज्य में सतर्कता निदेशालय का गठन शासन के पत्र सं.: 115/सतर्कता/02, दिनांक 16.12.2002 के द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा सतर्कता नियम संग्रह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में स्थापित मानदंड विभाग में प्रचलित हैं। उत्तराखण्ड राज्य के सतर्कता अधिष्ठान में कार्यरत् अधिकारियों द्वारा उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अभिसूचना संकलन, जाँच एवं अनुसंधान की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-04.
संख्या: /XX-4/2024-13(01)/2024-E-74810
देहरादून: दिनांक 22 जुलाई, 2024
अधिसूचना

राज्यपाल, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसरण में, समय-समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अधिसूचना संख्या: F. No. 228/51/2024-AVD-II से अधिसूचित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध या अपराधों की श्रेणियां, जो कि कथित तौर पर केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों या केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों), के अन्वेषण के लिये पूरे उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिये अपनी सहमति देते हैं: यद्यपि यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि उत्तराखण्ड की राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से सम्बन्धित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई अन्वेषण नहीं किया जायेगी। किसी भी अन्य अपराध के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले दर मामले के आधार पर दी गयी सहमति भी लागू रहेंगी :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की धाराएँ- 1(5), 3, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 269, 277, 279, 281, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356.

उपर्युक्त अपराध(धों) से जुड़े या उससे सम्बद्ध किसी प्रयास, दुष्प्रेरण और/अथवा षडयंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किये गये या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों)।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: 511 /XX-4/2022-13(01)/2024-E-74810, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, सी0वी0आइ0, नई दिल्ली।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- निदेशक, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- निदेशक, राजकीय गुट्टणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 50 प्रतियां अगले संस्करण में प्रकाशित कर उपलब्ध कराये।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रिचिम अग्रवाल)
विशेष सचिव

GENERAL DRAFT

-36-

उत्तर प्रदेश सरकार
तत्कालीन अनुभाग-4
संख्या-291/37-4-91-441301/81
तारीख: दिनांक: 18 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश तत्कालीन अधिष्ठान अधिनियम, 1965। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7 सन् 1965। की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-592/37-टी.जी.एल.-1965, दिनांक 12 फरवरी, 1965 और संख्या-2614/37:21-217/1964, दिनांक 3 अक्टूबर, 1975 के क्रम में निम्नलिखित अमराधों को, जिनका अन्वेषण उत्तर प्रदेश तत्कालीन अधिष्ठान द्वारा किया जाएगा, भी विनिर्दिष्ट करते हैं:-

1. भूदानार निवारण अधिनियम, 1988। अधिनियम संख्या 49 सन् 1988। के अधीन दण्डनीय अमराध।

आज्ञा से,

(Handwritten signature)

प्रमाणित करने के लिए

संख्या-291/37-4-91-441301/81, तदुद्दिष्ट

प्रतिष्ठान अधिनियम, 1965 के तहत प्रमाणित

1. सर्वोच्च न्यायालय, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित
2. अदालत, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित
3. पुलिस महानिरीक्षक, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित
4. पुलिस महानिरीक्षक, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित
5. विभागीय अधिकारी, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित

अनु-2 अंक 3/वा

आज्ञा से,

(Handwritten signature)

विभागीय अधिकारी, संख्या 0, नमंक दो, जो 25 अक्टूबर 1965 को प्रमाणित

आज्ञा से,

The Prevention of Corruption Act, 1988

No. 49 of 1988*

[9th September, 1988.]

An Act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Prevention of Corruption Act, 1988.

(2) It extends to the whole of India [* * *] and it applies also to all citizens of India outside India.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "election" means any election, by whatever means held under any law for the purpose of selecting Members of Parliament or of any Legislature, local authority or other public authority;

2[(aa) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act and the expression "prescribe" shall be construed accordingly;]

(b) "public duty" means a duty in the discharge of which the State, the public or the community at large has an interest;

Explanation.—In this clause "State" includes a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*;

(c) "public servant" means,—

(i) any person in the service or pay of the Government or remunerated by the Government by fees or commission for the performance of any public duty;

(ii) any person in the service or pay of a local authority;

* Received the assent of the President on the 9th September, 1988 and Act published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II Section 1 dated 12-9-1988.

1. The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act No. 34 of 2019, Fifth Schedule, w.e.f. 31-10-2019.

2. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

† Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(1)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

क्रमांक 49 सन् 1988*

[9 सितम्बर, 1988]

भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 है।

(2) इसका विस्तार [* * *] सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्वाचन" से संसद या किसी विधान-मण्डल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से, कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है;

2[(कक) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और तदनुसार "विहित" पद का अर्थ लगाया जाएगा;]

(ख) "लोक कर्तव्य" से अभिप्रेत है वह कर्तव्य, जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में, "राज्य के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में द्वापारभाषित सरकारी कंपनी भी है;

(ग) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन रूप में पारिश्रमिक पाता है;

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है;

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 9 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 12-9-1988 को प्रकाशित।

1. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2019, अनुसूची 5, द्वारा दिनांक 31-10-2019 से "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

† अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

(1)

- (iii) any person in the service or pay of a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*;
- (iv) any Judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions;
- (v) any person authorised by a Court of justice to perform any duty, in connection with the administration of justice, including a liquidator, receiver or commissioner appointed by such Court;
- (vi) any arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by a Court of justice or by a competent public authority;
- (vii) any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election;
- (viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty;

Notes

Mere performance of public duties by holder of any office cannot bring the incumbent within the meaning of public servant. **Central Bureau of Investigation, Bank Securities and Fraud Cell v. Ramesh Gelli**, AIR 2016 SC 1063 : (2016) 3 SCC 788.

Chairman/Managing Director or Director of any private bank cannot be excluded from the definition of public servant, against whom a case related to anti-corruption is registered. **Central Bureau of Investigation, Bank Securities and Fraud Cell v. Ramesh Gelli**, AIR 2016 SC 1063 : (2016) 3 SCC 788.

- (ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co-operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government or from any corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or any authority or body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*;
- (x) any person who is a chairman, member or employee of any Service Commission or Board, by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such Commission or Board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such Commission or Board;

* Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- (iii) कोई व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है;
- (iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्यायनिर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति या निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है ;
- (v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी है ;
- (vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा या कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है ;
- (vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिये सशक्त है ;
- (viii) कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित है ;

टिप्पणी

केवल किसी कार्यालय के धारक द्वारा लोक कर्तव्यों का पालन पदधारी को लोक सेवक के अर्थान्तर्गत नहीं ला सकता। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और कपट प्रकोष्ठ वि० रमेश गेल्ली, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 1063 : (2016) 3 एस० सी० 788.

किसी प्राइवेट बैंक के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक या निदेशक को लोक सेवक की परिभाषा से अपवर्जित नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध के सम्बन्ध में मामला पंजीकृत किया जाता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और कपट प्रकोष्ठ वि० रमेश गेल्ली, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 1063 : (2016) 3 एस० सी० 788.

- (ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है ;
- (x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिये नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है ;

अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

- (xi) any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;
- (xii) any person who is an office-bearer or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution, in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the Central Government or any State Government, or local or other public authority.

Explanation 1.—Persons falling under any of the above sub-clauses are public servants, whether appointed by the Government or not.

Explanation 2.—Wherever the words “public servant” occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation.

¹[(d) “undue advantage” means any gratification whatever, other than legal remuneration.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

- (a) the word “gratification” is not limited to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money;
- (b) the expression “legal remuneration” is not restricted to remuneration paid to a public servant, but includes all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to receive.]

CHAPTER II

Appointment of Special Judges

3. Power to appoint Special Judges.—(1) The Central Government or the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many Special Judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences, namely :—

- (a) any offence punishable under this Act; and
- (b) any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abetment of any of the offences specified in clause (a).

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Special Judge under this Act unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

- (x.) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के, आयोजन या संचालन के संबंध में किया गया है;
- (xii) कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षणिक, वैज्ञानिक सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

स्पष्टीकरण 1.—उपर्युक्त उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.—“लोक सेवक” शब्द जहाँ भी आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किये हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में किसी भी विधिक त्रुटि हो।

¹[(घ) “असम्यक् लाभ” से ऐसा कोई पारितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “पारितोषण” शब्द धनीय पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है;
- (ख) “विधिक पारिश्रमिक” पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बन्धित नहीं है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जिसका सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है।]

अध्याय 2

विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

3. विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, सजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिये इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेंगे, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिये जो आवश्यक हों, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं, अर्थात् :—

- (क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध; और
- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिये चट्टयंत्र करने या करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

4. Cases triable by Special Judges.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or in any other law for the time being in force, the offences specified in sub-section (1) of Section 3 shall be tried by Special Judges only.

(2) Every offence specified in sub-section (1) of Section 3 shall be tried by the Special Judge for the area within which it was committed, or, as the case may be, by the Special Judge appointed for the case, or, where there are more Special Judges than one for such area, by such one of them as may be specified in this behalf by the Central Government.

(3) When trying any case, a Special Judge may also try any offence, other than an offence specified in Section 3, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial.

1[(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the trial of an offence shall be held, as far as practicable, on day-to-day basis and an endeavour shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of two years:

Provided that where the trial is not concluded within the said period, the special Judge shall record the reasons for not having done so:

Provided further that the said period may be extended by such further period, for reasons to be recorded in writing but not exceeding six months at a time; so, however, that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily four years in aggregate.]

5. Procedure and powers of Special Judge.—(1) A Special Judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial and, in trying the accused persons, shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), for the trial of warrant cases by the Magistrates.

(2) A Special Judge may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof and any pardon so tendered shall, for the purposes of sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be deemed to have been tendered under Section 307 of that Code.

(3) Save as provided in sub-section (1) or sub-section (2), the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as they are not inconsistent with this Act, apply to the proceedings before a Special Judge; and for the purposes of the said provisions, the Court of the Special Judge shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a Special Judge shall be deemed to be a public prosecutor.

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution sub-section (4) stood as under:—

"(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a Special Judge shall, as far as practicable, hold the trial of an offence on day-to-day basis."

4. विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वह अपराध किया गया है या जहाँ ऐसे क्षेत्र के लिये एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहाँ उनमें से ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा उस मामले के लिये नियुक्त किये गये विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होगा।

(3) किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

1[(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपराध के लिए विचारण, यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाता है :

परंतु जहाँ विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, वहाँ विशेष न्यायाधीश ऐसा न होने पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा :

परंतु यह और कि उक्त अवधि को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, एक समय में छह मास से अनधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा; तथापि उक्त अवधि, विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

5. प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियाँ.—(1) विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किये गये बिना भी अपराध का संज्ञान कर सकता है, और वह अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामलों के लिये विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) विशेष न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अपराध से संपृक्त होना या संसर्ग होना अनुमति है, विशेष न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति और प्रत्येक अन्य संपृक्त व्यक्ति को, चाहे वह उस अपराध के किये जाने में मुख्य रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो उसके अपराध से संबंधित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है और इस प्रकार दी गई क्षमा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) के प्रयोजनों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के अधीन प्रदत्त की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे; और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ, विशेष न्यायाधीश, का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (4) निम्नवत् थी:—

"(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश, अपराध का विचारण यावत्साध्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा।"

(4) In particular and without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (3), the provisions of Sections 326 and 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Special Judge and for the purposes of the said provisions, a Special Judge shall be deemed to be a Magistrate.

(5) A Special Judge may pass upon any person convicted by him any sentence authorised by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

(6) A Special Judge, while trying an offence punishable under this Act, shall exercise all the powers and functions exercisable by a District Judge under the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 1944 (Ordinance 38 of 1944).

Notes

Under this section the power of the Special Judge to grant pardon is an unfettered power subject to stipulation made in the section itself. Such power can be exercised at any stage and there is no stipulation that power can be exercised by the Special Judge only at the stage of trial. The deeming clause which has been introduced in Section 5(2) is for a very limited purpose mentioned therein. It is not for fettering the power of the Special Judge to grant pardon in terms of Section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The purpose of introducing the deeming provision in Section 5(2) is manifest from its text, namely, the same is introduced only for the purposes of sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code and it is only for the said purpose that the sanction is deemed to have been tendered under Section 307 of the Code. Sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code make it clear that the said provisions have been enacted for a different purpose, namely, for holding trial of a person for not complying with the conditions of pardon. *Bangaru Laxman v. State*, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678.

On a harmonious reading of Section 5(2), Prevention of Corruption Act with the provisions of Section 306, specially Section 306(2)(a), CrPC and Section 26, Prevention of Corruption Act, Supreme Court is of the opinion that the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, while trying offences, has the dual power of the Sessions Judge as well as that of a Magistrate. Such a Special Judge conducts the proceedings under the Code both prior to the filing of charge sheet as well as after the filing of charge sheet, for holding the trial. Therefore, the power of granting pardon, prior to the filing of the charge sheet, is within the domain of judicial discretion of the Special Judge before whom such a prayer is made. Supreme Court made it clear that in the course of holding trial, the Special Judge will not be in any way influenced by the observations in the order granting pardon but will act independently of the same. *Bangaru Laxman v. State*, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678 : (2012) 1 SCC (Cri) 487.

Special Judge may take cognizance of offence without accused being committed to him for trial and Court of Special Judge shall be deemed to be a Court of Session. Special Judge appointed under this Act, enjoys all powers conferred on court of original jurisdiction functioning under High Court except those specifically conferred under the Act. *R.N. Agrawal v. R.C. Agrawal*, (2015) 1 SCC 48 : (2015) 1 SCC (Cri) 540.

Order passed by Magistrate tendering pardon to the accomplice/approver at the stage of charge-sheet was filed before Special Judge and thereafter, case was committed to Special Judge for trial, held to be legitimate. Section 306, CrPC would get bypassed only in those cases where Special Judge takes cognizance of offence directly. *State through CBI, Chennai v. Arul Kumar*, AIR 2016 SC 2551.

(4) विशिष्टता, और उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 320 और धारा 475 के उपबंध, जहां तक हो सके विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे, और उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(5) विशेष न्यायाधीश उसके द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को कोई भी दण्डादेश दे सकता है जो उस अपराध के लिए जिसके लिए ऐसे व्यक्ति दोषसिद्ध हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत है।

(6) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश संख्यांक 38) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोज्य सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन क्षमा प्रदान करने की विशेष न्यायाधीश की शक्ति धारा में दी गई शर्तों के अधीन स्वच्छन्द शक्ति है। ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी प्रक्रम पर किया जा सकता है तथा ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग विशेष न्यायाधीश द्वारा केवल विचारण के प्रक्रम पर किया जा सकता है धारण खण्ड जिसे धारा 5(2) में पुरःस्थापित किया गया है, उसमें उल्लिखित बहुत सीमित उद्देश्य के लिए है। इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 के निबन्धनों में विशेष न्यायाधीश की क्षमा प्रदान करने की शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए पुरःस्थापित नहीं किया गया है। धारा 5(2) में धारण खण्ड के पुरःस्थापन का प्रयोजन उसके पाठ से स्पष्ट हो जाता है, अर्थात् उसका पुरःस्थापन संहिता की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) के प्रयोजन के लिए किया गया है और यह केवल उक्त प्रयोजन के लिए संहिता की धारा 307 के अधीन मंजूरी दी गई समझी जाएगी। धारा 308 की उपधारा (1) से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त उपबंधों को भिन्न प्रयोजन के लिए अर्थात् उस व्यक्ति के विचारण को करने के लिए जिसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया है, अधिनियमित किया गया है। *बंगारू लक्ष्मण वि० शासन*, (2012) 1 एस० सी० सी० 500 : ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 678.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306, खासतौर से धारा 306(2)(क) के उपबंधों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 26 की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ सुव्यवस्थित पाठन पर, उच्चतम न्यायालय इस राय का है कि अपराधों का विचारण करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के पास सत्र न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियाँ होती हैं। ऐसा विशेष न्यायाधीश, विचारण करने के लिए आरोप पत्र के दाखिल करने के पश्चात् तथा आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व दोनों की स्थितियों में संहिता के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करता है। अतः आरोप पत्र के दाखिल करने के पूर्व क्षमा प्रदान करने की शक्ति, उस विशेष न्यायाधीश के न्यायिक विवेक के अधिकार क्षेत्र में है जिसके समक्ष ऐसी प्रार्थना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विचारण करने के दौरान विशेष न्यायाधीश किसी भी क्षमा प्रदान करने वाले आदेश में किए गए सम्प्रेक्षणों से प्रभावित नहीं होगा, किन्तु उससे स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा। *बंगारू लक्ष्मण वि० शासन*, (2012) 1 एस० सी० सी० 500 : ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 678 : (2012) 1 एस० सी० सी० (क्रिमि०) 487.

विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किये बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है और विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सत्र न्यायालय होना माना जाएगा। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश अधिनियम के अधीन उनको विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारिता के सिवाय उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत मूल अधिकारिता के न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। *आर० एन० अग्रवाल वि० आर० सी० अग्रवाल*, (2015) 1 एस० सी० सी० 48 : (2015) 1 एस० सी० सी० (क्रि०) 540.

विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किये जाने के प्रक्रम पर सहअपराधी/इकबाल साक्षी को माफी प्रदान करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और इसके पश्चात् मामला विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया था, जो वैध होना निर्णीत किया गया था। दं० प्र० सं० की धारा 306 को केवल उन मामलों में अमान्य किया जाएगा, जहां विशेष न्यायाधीश प्रत्यक्षतः अपराध का संज्ञान लेता है। *राज्य, सी० बी० आई० चेन्नई के माध्यम से वि० अरूण कुमार, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 2551*.

6. Power to try summarily.—(1) Where a Special Judge tries any offence specified in sub-section (1) of Section 3, alleged to have been committed by a public servant in relation to the contravention of any special order referred to in sub-section (1) of Section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or of an order referred to in clause (a) of sub-section (2) of that section, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 5 of this Act or Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Special Judge shall try the offence in a summary way, and the provisions of Sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trial;

Provided that, in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Special Judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year:

Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Special Judge that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Special Judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witnesses who may have been examined and proceed to hear or re-hear the case in accordance with the procedure prescribed by the said Code for the trial of warrant cases by Magistrates.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily under this section in which the Special Judge passes a sentence of imprisonment not exceeding one month, and of fine not exceeding two thousand rupees whether or not any order under Section 452 of the said Code is made in addition to such sentence, but an appeal shall lie where any sentence in excess of the aforesaid limits is passed by the Special Judge.

CHAPTER III

Offences and Penalties

1[7. Offence relating to public servant being bribed.—Any public servant who,—

1. Sections 7, 8, 9 and 10 substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Sections 7, 8, 9 and 10 stood as under :—

"7. Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.—Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

6. संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति.—(1) जहां कोई विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विशेष आदेश, या उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के उल्लंघन की बाबत किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना अभिकथित है, वहां इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा, और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध, यथाशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या उसके अनुक्रम में, विशेष न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक के कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़ सकता है या, किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायाधीश, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा हो चुकी हो पुनः बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारन्ट के मामले के विचारण के लिए उक्त संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

(2) इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में, जिसमें विशेष न्यायाधीश एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त कोई आदेश पारित किया जाता हो, या नहीं, किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी, जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दण्डादेश पारित किया जाता है, वहां अपील होगी।

अध्याय 3

अपराध और शास्तियां

1[7. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध.—ऐसा कोई लोक सेवक जो,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से धारा 7, धारा 8, धारा 9 तथा धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 7, धारा 8, धारा 9 तथा धारा 10 निम्नवत् थी :—

"7. लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण लिया जाना.—जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई पारितोषण इस बात के करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह दिखाये या दिखाने से प्रवृत्त रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद् या किसी विधान-मण्डल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- (a) obtains or accepts or attempts to obtain from any person, an undue advantage, with the intention to perform or cause performance of public duty improperly or dishonestly or to forbear or cause

Explanations.—

- (a) "Expecting to be a public servant". If a person not expecting to be in office obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office, and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offence defined in this section.
- (b) "Gratification". The word "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money.
- (c) "Legal remuneration". The words "legal remuneration" are not restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand, but include all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to accept.
- (d) "A motive or reward for doing". A person who receives a gratification as a motive or reward for doing what he does not intend or is not in a position to do, or has not done, comes within this expression.
- (e) Where a public servant induces a person erroneously to believe that his influence with the Government has obtained a title for that person and, thus, induces that person to give the public servant, money or any other gratification as a reward for this service, the public servant has committed an offence under this section.

8. Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant.—Whoever accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means, any public servant, whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

9. Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant.—Whoever accepts or obtains or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by the exercise of personal influence, any public servant whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

10. Punishment for abetment by public servant of offences defined in Section 8 or 9.—Whoever, being a public servant, in respect of whom either of the offences defined in Section 8 or Section 9 is committed, abets the offence, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

- (क) किसी व्यक्ति से, इस आशय से कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे वह स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से

स्पष्टीकरण.—

- (क) "लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए"—यदि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए, दूसरों की प्रवचना से यह विश्वास करा कर कि वह किसी पद पर होने वाला है और यह कि वह उनका उपकार करेगा, उससे प्रतिगृहीत अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किन्तु यह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।
- (ख) "प्रतिगृहीत"—"प्रतिगृहीत" शब्द धन संबंधी प्रतिगृहीत तक, या उन प्रतिगृहीतों तक ही, जो धन में अंके जाने योग्य हैं, निबन्धित नहीं हैं।
- (ग) "वैध पारिश्रमिक"—"वैध पारिश्रमिक" शब्द उस पारिश्रमिक तक ही निबन्धित नहीं है जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है जिसकी प्रतिगृहीत करने के लिये उस सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गई है।
- (घ) "करने के लिए हेतुक या इनाम"—वह व्यक्ति जो वह कार्य करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में, जिसके करने का उसका आशय नहीं है या जिसे करने की स्थिति में वह नहीं है या जो उसने नहीं किया है, प्रतिगृहीत प्राप्त करता है, इस पद के अन्तर्गत आता है।
- (ङ) जहाँ कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को कोई हक अभिप्राप्त हुआ है, और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में लोक सेवक को धन या कोई अन्य प्रतिगृहीत देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो यह इस धारा के अधीन लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध होगा।

8. लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए प्रतिगृहीत का लेना.—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रतिगृहीत किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिये उत्प्रेरित करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप से किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह दिखाये अथवा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहाँ चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

9. लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए प्रतिगृहीत का लेना.—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रतिगृहीत किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अनुग्रह दिखाये अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहाँ, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

10. लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिये दण्ड.—जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जिसके बारे में उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाए, जो धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित हैं, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant; or

- (b) obtains or accepts or attempts to obtain, an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty either by himself or another public servant; or
- (c) performs or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purpose of this section, the obtaining, accepting, or the attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offence even if the performance of a public duty by public servant, is not or has not been improper.

Illustration.—A public servant, 'S' asks a person, 'P' to give him an amount of five thousand rupees to process his routine ration card application on time. 'S' is guilty of an offence under this section.

Explanation 2.—For the purpose of this section,—

- (i) the expressions "obtains" or "accepts" or "attempts to obtain" shall cover cases where a person being a public servant, obtains or "accepts" or attempts to obtain, any undue advantage for himself or for another person, by abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant; or by any other corrupt or illegal means;
- (ii) it shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts, or attempts to obtain the undue advantage directly or through a third party.

7A. Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.—Whoever accepts or obtains or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant, by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine

8. Offence relating to bribing of a public servant.—(1) Any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons, with intention—

या बेइमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न किया जाए या न करवाया जाए; या

- (ख) किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या
- (ग) किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करता है या किसी अन्य लोक सेवक को किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करने हेतु प्रेरित करता है या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का कार्यपालन करने से प्रवृत्त रहता है; या

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यपालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टान्त.—एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति, 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (i) "अभिप्राप्त करता है" या "प्रतिगृहीत करता है" या "अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है" पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या "प्रतिगृहीत करता है" या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
- (ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक् लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

7क. भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक् लाभ लेना.—जो कोई, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को, स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष के कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

8. किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध.—(1) ऐसे कोई व्यक्ति जो, निम्नलिखित आराय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन करता है—

- (i) to induce a public servant to perform improperly a public duty; or
- (ii) to reward such public servant for the improper performance of public duty;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both:

Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage:

Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage:

Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organisation, such commercial organisation shall be punishable with fine.

Illustration.—A person, 'P' gives a public servant, 'S' an amount of ten thousand rupees to ensure that he is granted a license, over all the other bidders. 'P' is guilty of an offence under this sub-section.

Explanation.—It shall be immaterial whether the person to whom an undue advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform, or has performed, the public duty concerned, and, it shall also be immaterial whether such undue advantage is given or promised to be given by the person directly or through a third party.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person, if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in its investigation of the offence alleged against the later.

9. Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a commercial organisation, such organisation shall be punishable with fine, if any person associated with such commercial organisation gives or promises to give any undue advantage to a public servant intending—

- (a) to obtain or retain business for such commercial organisation; or
- (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organisation:

Provided that it shall be a defence for the commercial organisation to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct.

(2) For the purposes of this section, a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant, if he is alleged to have committed the offence under section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence.

(3) For the purposes of section 8 and this section,—

- (a) "commercial organisation" means—

- (i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए; या
- (ii) किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश है :

परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा : परंतु यह भी कि जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

दृष्टान्त.—कोई व्यक्ति 'पी', लोक सेवक 'एस' को, यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण.—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे असम्यक् लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कर्तव्य करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक् लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि इस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के पश्चात् विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चात्वर्ती के विरुद्ध अभिकथित अपराध से उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है।

9. किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहां ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है,

- (क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से ; या
- (ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से :

परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में, जो विहित किए जाएं पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि उसने किसी लोक सेवक को असम्यक् लाभ दिया है या देने का वचन दिया है, यदि उसने अभिकथित रूप से धारा 8 के अधीन अपराध किया है, चाहे ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो अथवा नहीं।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "वाणिज्यिक संगठन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) a body which is incorporated in India and which carries on a business, whether in India or outside India;
- (ii) any other body which is incorporated outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;
- (iii) a partnership firm or any association of persons formed in India and which carries on a business whether in India or outside India; or
- (iv) any other partnership or association of persons which is formed outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;
- (b) "business" includes a trade or profession or providing service;
- (c) a person is said to be associated with the commercial organisation, if such person performs services for or on behalf of the commercial organisation irrespective of any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes an offence under sub-section (1).

Explanation 1.—The capacity in which the person performs services for or on behalf of the commercial organisation shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organisation.

Explanation 2.—Whether or not the person is a person who performs services for or on behalf of the commercial organisation is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between such person and the commercial organisation.

Explanation 3.—If the person is an employee of the commercial organisation, it shall be presumed unless the contrary is proved that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organisation.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the offence under sections 7A, 8 and this section shall be cognizable.

(5) The Central Government shall, in consultation with the concerned stakeholders including departments and with a view to preventing persons associated with commercial organisations from bribing any person, being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary which can be put in place for compliance by such organisations.

10. Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.—Where an offence under section 9 is committed by a commercial organisation, and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organisation, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this section, "director", in relation to a firm means a partner in the firm.]

- (i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है;
- (ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;
- (iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है; या
- (iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है और जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;
- (ख) "कारबार" के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा, उपलब्ध कराना है;
- (ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसा कोई असम्यक् लाभ, जो उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का गठन करता है, देने का वचन दिए जाने या ऐसा कोई लाभ दिये जाने पर ध्यान न देते हुए वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से कोई सेवाएं प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण 1.—वह हैसियत जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके।

स्पष्टीकरण 3.—यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान की हैं।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 7क, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, संबद्ध एजेंसियों जिसके अंतर्गत विभाग भी हैं, के परामर्श से और वाणिज्यिक संगठनों से सहयोजित व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, रिश्वत देने से निवारित करने के विचार से ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त को विहित करेगी, जो आवश्यक समझी जाएं और जो ऐसे संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु स्थापित किए जा सकते हैं।

10. वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना.—जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी होगा अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।]

11. Public servant obtaining ¹[undue advantage], without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.—Whoever, being a public servant, accepts or obtains ²[* * *], or attempts to obtain for himself, or for any other person, any ³[undue advantage] without consideration, or for a consideration which he knows to be inadequate, from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the ⁴[official functions or public duty] of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

⁵[12. Punishment for abetment of offences.—Whoever abets any offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than three years, but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]

13. Criminal misconduct by a public servant.—⁶[(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words "valuable thing".
2. The words "or agrees to accept" omitted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.
3. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words "valuable thing".
4. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words "official functions".
5. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 12 stood as under :—

"12. Punishment for abetment of offences defined in Section 7 or 11.—Whoever abets any offence punishable under Section 7 or Section 11 whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine."

6. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution sub-section (1) stood as under :—

"(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

- (a) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward such as is mentioned in Section 7; or
- (b) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person, any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned; or

11. लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, ¹[असम्यक् लाभ] अभिप्राप्त करता है,—जो कोई लोक सेवक होते हुये, अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपुक्त रह चुका है, या है या उसका संपुक्त होना संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, ²[पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्यों] से वह व्यक्ति संपुक्त है, अथवा किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपुक्त व्यक्ति से हितबद्ध है नातेदारी रखता है, किसी ³[असम्यक् लाभ] को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा, ⁴[* * *] या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

⁵[12. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड.—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।]

13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार.—⁶[(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "मूल्यवान चीज" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "पदीय कृत्यों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "मूल्यवान चीज" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा" शब्द विलुप्त।
5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 12 निम्नवत थी :—

"12. धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड.—जो कोई धारा 7 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।"

6. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (1) निम्नवत थी :—

"(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाता है—

- (क) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परिचोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है किसी व्यक्ति से अन्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या
- (ख) यदि वह अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जा सकने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से संबद्ध रहा होना, होना या हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति में हितबद्ध या उससे संबंधित होना वह जानता है, अन्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

- (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
- (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.

Explanation 1.—A person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if he or any person on his behalf, is in possession of or has, at any time during the period of his office, been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income which the public servant cannot satisfactorily account for.

Explanation 2.—The expression “known sources of income” means income received from any lawful sources.]

(2) Any public servant, who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ¹[four years] but which may extend to ²[ten years] and shall also be liable to fine.

³[14. Punishment for habitual offender.—Whoever convicted of an offence under this Act subsequently commits an offence punishable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.]

- (c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
- (d) if he,—
- by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or
 - by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or
 - while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest; or
- (e) if he or any person on his behalf, is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income.

Explanation.—For the purposes of this section, “known sources of income” means income received from any lawful source and such receipt has been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or orders for the time being applicable to a public servant.”

- Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words “one year”.
- Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words “seven years”.
- Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 14 stood as under:—

“14. Habitual committing of offence under Sections 8, 9 and 12.—Whoever habitually commits,—

- an offence punishable under Section 8 or Section 9; or
- an offence punishable under Section 12;

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.”

- (क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी सम्पत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1.—किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातिक धनीय संसाधन या सम्पत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2.—पद “आय के ज्ञात स्रोत” से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा इतनी अवधि के लिए, जो ¹[चार वर्ष] से कम की न होगी किन्तु जो ²[दस वर्ष] तक की हो सकेगी, कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

³[14. आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड.—जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोप उहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।]

- (ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(घ) यदि वह—

- भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है; या
- लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है; या
- लोक सेवक के रूप में पद धारण करके किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा बिना किसी लोक हित के अभिप्राप्त करता है; या

(ङ) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी सम्पत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अनुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक, समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आय के ज्ञात स्रोत” से अभिप्रेत है किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय, जिसकी प्राप्ति की संसूचना, लोक सेवक को तत्समय लागू किसी विधि, नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसार दे दी गई है।¹

- अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से “सात वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 14 निम्नवत थी:—

“14. धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासतः अपराध करना.—जो कोई—

(क) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा; या

(ख) धारा 12 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा;

वह इतनी अवधि के लिए जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।¹”

15. **Punishment for attempt.**—Whoever attempts to commit an offence referred to in ¹[clause (a)] of sub-section (1) of Section 13 shall be punishable with imprisonment for a term ²[which shall not be less than two years but which may extend to five years] and with fine.

16. **Matters to be taken into consideration for fixing fine.**—Where a sentence of fine is imposed under ³[section 7 or section 8 or section 9 or section 10 or section 11 or sub-section (2) of section 13 or section 14 or section 15], the Court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offence or where the conviction is for an offence referred to in ⁴[clause (b)] of sub-section (1) of Section 13, the pecuniary resources or property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily.

CHAPTER IV

Investigation into Cases under the Act

17. **Persons authorised to investigate.**—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), no police officer below the rank,—

- in the case of the Delhi Special Police Establishment, of an Inspector of Police;
- in the metropolitan areas of Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad and in any other metropolitan area notified as such under sub-section (1) of Section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), of an Assistant Commissioner of Police;
- elsewhere, of a Deputy Superintendent of Police or a police officer of equivalent rank;

shall investigate any offence punishable under this Act without the order of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class, as the case may be, or make any arrest therefor without a warrant:

Provided that if a police officer not below the rank of an Inspector of Police is authorised by the State Government in this behalf by general or special order, he may also investigate any such offence without the order of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class, as the case may be, or makes arrest therefor without a warrant:

Provided further that an offence referred to in ⁵[clause (b) of sub-section (1)] of Section 13 shall not be investigated without the order of a police officer not below the rank of a Superintendent of Police.

- Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets and letters "clause (c) or clause (d)".
- Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words "which may extend to three years".
- Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets and figures, "sub-section (2) of section 13 or section 14".
- Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, brackets and letter "clause (c)".
- Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets, letter and figure "clause (c) of sub-section (1)".

15. **प्रयत्न के लिये दंड.**—जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) के ¹[खंड (क)] में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, ²[जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी], और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

16. **जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें.**—जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय, वहां जहां जुर्माने का दंड ³[धारा 7, या धारा 8 या धारा 9 या धारा 10 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14 या धारा 15] के अधीन अधिरोपित किया गया है उस रकम या सम्पत्ति के मूल्य का, यदि कोई हो, जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा वहां जहां दोषसिद्धि धारा 13 की उपधारा (1) के ⁴[खंड (ख)] में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है, उस खण्ड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधन या सम्पत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखेगा।

अध्याय 4

इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण

17. **अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित को पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी,—

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में, पुलिस निरीक्षक ;
- मुंबई कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त ;
- अन्यत्र, उप-पुलिस अधीक्षक, या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति; महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिये कोई गिरफ्तारी, चारण्ट के बिना नहीं करेगा ;

परन्तु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिए गिरफ्तारी चारंट के बिना, कर सकेगा :

परन्तु यह और कि धारा 13 की ⁵[उपधारा (1) के खंड (ख)] में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

- अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "खंड (ग) या खंड (घ)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से "जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "खंड (ड)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "उपधारा (1) के खंड (ड)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

There is no bar in the Act for court to authorise an officer below the rank of Inspector of Police to investigate. *Union of India v. T. Nathamuni*, (2014) 16 SCC 285 : (2015) 3 SCC (Cri) 411.

¹[17A. Enquiry or Inquiry or investigation of offences relating to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.—(1) No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relating to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval—

- (a) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of the Union, of that Government;
- (b) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of a State, of that Government;
- (c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office, at the time when the offence was alleged to have been committed:

Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person:

Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of three months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of one month.]

18. Power to inspect bankers' books.—If from information received or otherwise, a police officer has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered to investigate under Section 17 and considers that for the purpose of investigation or enquiry into such offence, it is necessary to inspect any bankers' books, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, he may inspect any bankers' books in so far as they relate to the accounts of the persons suspected to have committed that offence or of any other person suspected to be holding money on behalf of such person, and take or cause to be taken certified copies of the relevant entries therefrom, and the bank concerned shall be bound to assist the police officer in the exercise of his powers under this section:

Provided that no power under this section in relation to the accounts of any person shall be exercised by a police officer below the rank of a Superintendent of Police, unless he is specially authorised in this behalf by a police officer of or above the rank of a Superintendent of Police.

Explanation.—In this section, the expressions "bank" and "bankers' books" shall have the meanings respectively assigned to them in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891).

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

टिप्पणी

अधिनियम में अन्वेषण करने के लिए पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से अवर अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए न्यायालय के लिए कोई वर्जन नहीं है। भारत संघ वि० टी० नाथामुनि, (2014) 16 एस० सी० सी० 285 : (2015) 3 एस० सी० सी० (क्रि०) 411.

¹[17क. लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण.—(1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है,—

- (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;
- (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के :

परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिग्रहीत करने या प्रतिग्रहीत करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि संबंध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।]

18. बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति.—यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किये जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन सशक्त है और और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंककार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी वह किन्हीं बैंककार बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे अपराध किये जाने का संदेह है या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किये जाने का संदेह है, लेखाओं से संबंधित हैं, और उसमें से सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा या लिवा सकेगा तथा संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी को, इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में, सहायता करने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति के लेखाओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "बैंक" और "बैंककार बही" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) में है।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

CHAPTER IV-A

Attachment and Forfeiture of Property

18A. Provisions of Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 to apply to attachment under this Act.—(1) Save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall, as far as may be, apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this Act.

(2) For the purposes of this Act, the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall have effect, subject to the modification that the references to "District Judge" shall be construed as references to "Special Judge".]

CHAPTER V

Sanction for Prosecution and other Miscellaneous Provisions

19. Previous sanction necessary for prosecution.—(1) No Court shall take cognizance of an offence punishable under ²[Sections 7, 11, 13 and 15] alleged to have been committed by a public servant, except with the previous sanction ³[save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (No. 1 of 2014)],—

- (a) in the case of a person ⁴[who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed] in connection with the affairs of the Union and is not removable from his office save by or with the sanction of the Central Government, of that Government;
- (b) in the case of a person ⁵[who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed] in connection with the affairs of a State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government;
- (c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office:

⁶[Provided that no request can be made, by a person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, to the appropriate Government or competent authority, as the case may be, for the previous sanction of such Government or authority for taking cognizance by the court of any of the offences specified in this sub-section, unless—

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.
2. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words and figures "sections 7, 10, 11, 13 and 15".
3. Inserted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.
4. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words "who is employed".
5. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words "who is employed".
6. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

1[अध्याय 4क

सम्पत्ति की कुर्की और समपहरण

18क. दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना.—(1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश सं० 38) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई सम्पत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाय की गई सम्पत्ति को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश सं० 38) के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे "ज़िला न्यायाधीश" के प्रति निर्देश का "विशेष न्यायाधीश" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।]

अध्याय 5

अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना.—(1) कोई न्यायालय ²[धारा 7, धारा 11, धारा 13 और धारा 15] के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत यह अधिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की ³[लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2014) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय] पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा—

- (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, ⁴[यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था] और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार;
- (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में ⁵[यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था] और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार;
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिये, सक्षम प्राधिकारी:

⁶[परन्तु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15" शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "नियोजित है," शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "नियोजित है," शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

- (i) such person has filed a complaint in a competent court about the alleged offences for which the public servant is sought to be prosecuted; and
- (ii) the court has not dismissed the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding:

Provided further that in the case of request from the person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, the appropriate Government or competent authority shall not accord sanction to prosecute a public servant without providing an opportunity of being heard to the concerned public servant:

Provided also that the appropriate Government or any competent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:

Provided also that in case where, for the purpose of grant of sanction for prosecution, legal consultation is required, such period may, for the reasons to be recorded in writing, be extended by a further period of one month:

Provided also that the Central Government may, for the purpose of sanction for prosecution of a public servant, prescribe such guidelines as it considers necessary.

Explanation.—For the purposes of sub-section (1), the expression “public servant” includes such person—

- (a) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed; or
- (b) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed and is holding an office other than the office during which the offence is alleged to have been committed.]

(2) Where for any reason whatsoever any doubt arises as to whether the previous sanction as required under sub-section (1) should be given by the Central Government or the State Government or any other authority, such sanction shall be given by that Government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office at the time when the offence was alleged to have been committed.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—

- (a) no finding, sentence or order passed by a Special Judge shall be reversed or altered by a Court in appeal, confirmation or revision on the ground of the absence of, or any error, omission or irregularity in, the sanction required under sub-section (1), unless in the opinion of that court, a failure of justice has in fact been occasioned thereby;

- (i) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में, जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो; और
- (ii) न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निदेश न दे दिया हो :

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, संबद्ध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा :

परंतु समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है, वहां ऐसी अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, “लोकसेवक” पद में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं—

- (क) ऐसा व्यक्ति, जिसने उस अवधि के दौरान, जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था; या
- (ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने उस अवधि के दौरान, जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था और वह उस पद से भिन्न कोई अन्य पद धारण कर रहा था, जब अभिकथित रूप से अपराध किया गया है।]

(2) जहां किसी भी कारणवश इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिये वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी,—

- (क) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश किसी न्यायालय द्वारा अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में, अभियोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उलटा या परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ है ;

- (b) no Court shall stay the proceedings under this Act on the ground of any error, omission or irregularity in the sanction granted by the authority, unless it is satisfied that such error, omission or irregularity has resulted in a failure of justice;
- (c) no Court shall stay the proceedings under this Act on any other ground and no Court shall exercise the powers of revision in relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceedings.

(4) In determining under sub-section (3) whether the absence of, or any error, omission or irregularity in, such sanction has occasioned or resulted in a failure of justice, the Court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceedings.

Explanation.—For the purposes of this section,—

- (a) error includes competency of the authority to grant sanction;
- (b) a sanction required for prosecution includes reference to any requirement that the prosecution shall be at the instance of a specified authority or with the sanction of a specified person or any requirement of a similar nature.

Notes

Sanction is not intended to be, nor is an empty formality but a solemn and sacrosanct act which affords protection to government servants against frivolous prosecutions and it is a weapon to ensure discouragement of frivolous and vexatious prosecution and is a safeguard for the innocent but not a shield for the guilty. Validity of a sanction order would depend upon the material placed before the sanctioning authority and the consideration of the material implies application of mind. **Dinesh Kumar v. Airport Authority of India**, (2012) 1 SCC 532 : AIR 2012 SC 858 : 2012 CriLJ 699 : (2012) 1 SCC (Cri) 509.

Sanction to prosecute appellant granted cannot be declared to be illegal when it is not found to be granted in an absolutely mechanical manner. **Balbhadra Parashar v. State of Madhya Pradesh**, AIR 2016 SC 1554.

Competent authority cannot withdraw the sanction once granted. **D.L. Rangotha v. State of M.P.**, (2015) 12 SCC 733.

Sanction refused by State Government for prosecution of appellant, while he was in service, cannot be prosecuted after retirement. **D.L. Rangotha v. State of M.P.**, (2015) 12 SCC 733.

[20. Presumption where public servant accepts any undue advantage.]—Where, in any trial of an offence punishable under section 7 or under section 11,

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 20 stood as under :—

"20. Presumption where public servant accepts gratification other than legal remuneration.—(1) Where, in any trial of an offence punishable under Section 7 or Section 11 or clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of Section 13 it is proved that an accused person has accepted or obtained or has agreed to accept or attempted to obtain for himself, or for any other person, any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing from any person, it shall

- (ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है ;

- (ग) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्यवाहियाँ नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने में कि ऐसी मंजूरी के न होने से या उसमें किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय हुआ या परिणामित हुआ है या नहीं, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्यवाहियों के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिये था या नहीं।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

- (क) त्रुटि के अन्तर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है ;
- (ख) अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी के अन्तर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी है कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या समतुल्य प्रकृति की कोई अपेक्षा भी है।

टिप्पणी

अभियोजन के लिए मंजूरी न तो ऐसा आशयित है, न ही खाली औपचारिकता है किन्तु यह एक सत्यनिष्ठ एवं अलंघनीय कार्य है जो शासकीय सेवकों को तुच्छ अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है तथा यह तुच्छ एवं तंग करने वाले अभियोजन का निरुत्साहित करना सुनिश्चित करने वाला हथियार है तथा यह निर्दोष के लिए बचाव है किन्तु दोषी के लिये ढाल नहीं है। किसी मंजूरी के आदेश की वैधता मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष रखी गई सामग्री पर निर्भर करती है तथा उस सामग्री पर विचार, मनोनियोग किया जाना विवक्षित करता है। **विनेश कुमार वि० एयरपोर्ट अधीनस्थ ऑफ इण्डिया**, (2012) 1 एस० सी० सी० 532 : ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 858 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 699 : (2012) 1 एस० सी० सी० (क्रिमि०) 509.

अपीलाथी को अभियोजित करने के लिए प्रदत्त स्वीकृति अवैध होना घोषित नहीं की जा सकती, जब उसे आत्यन्तिक रूप से यांत्रिक ढंग में प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता। **बलभद्र पराशर वि० मध्य प्रदेश राज्य**, ए० आई० आर 2016 एस० सी० 1554.

सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति को वापस नहीं ले सकता—यदि एक बार प्रदान की गई है। **डी० एल० रंगोठा वि० म० प्र० राज्य**, (2015) 12 एस० सी० सी० 733.

अपीलाथी के अभियोजन के लिए, जब वह सेवा में था, राज्य सरकार द्वारा नामंजूर की गयी स्वीकृति, उसे सेवा निवृत्ति के पश्चात् अभियोजित नहीं किया जा सकता। **डी० एल० रंगोठा वि० म० प्र० राज्य**, (2015) 12 एस० सी० सी० 733.

[20. जहाँ लोक सेवक असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है वहाँ उपधारणा.]—जहाँ धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण में यह साबित कर दिया

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 20 निम्नवत थी :—

"20. जहाँ लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहाँ उपधारणा.—(1) जहाँ धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई पारितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमति दी है या

it is proved that a public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempted to obtain for himself, or for any other person, any undue advantage from any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or attempted to obtain that undue advantage, as a motive or reward under section 7 for performing or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly either by himself or by another public servant or, as the case may be, any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate under section 11.]

21. Accused person to be a competent witness.—Any person charged with an offence punishable under this Act, shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial:

Provided that,—

- (a) he shall not be called as a witness except at his own request;
- (b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial;
- (c) he shall not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence with which he is charged, or is of bad character, unless—
 - (i) the proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged; or
 - (ii) he has personally or by his pleader asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defence is such as

be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or agreed to accept or attempted to obtain that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in Section 7 or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.

- (2) Where in any trial of an offence punishable under Section 12 or under clause (b) of Section 14, it is proved that any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by an accused person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in Section 7, or as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Court may decline to draw the presumption referred to in either of the said sub-sections, if the gratification or thing aforesaid is, in its opinion, so trivial that no inference of corruption may fairly be drawn.

जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति या तो स्वयं या किसी अन्य लोकसेवक के द्वारा किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादित करने या निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन हेतु या इनाम के रूप में उस असम्यक् लाभ को, बिना किसी प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह धारा 11 के अधीन अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।]

21. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिये सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये आरोपों को साबित करने के लिये शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा :

परन्तु—

- (क) साक्षी के रूप में वह अपनी प्रार्थना पर के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा ;
- (ख) साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा अथवा इससे उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा उत्पन्न नहीं होगी ;
- (ग) कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है कि जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससे भिन्न अपराध उसने किया है यदि वह उसके लिये सिद्धोप हो चुका है, या वह बुरे चरित्र का है, उससे उस दशा में के सिवाय न पूछा जाएगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसमें—
 - (i) इस बात का सबूत कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिये वह सिद्धोप हो चुका है, यह दर्शित करने के लिये ग्राह्य साक्ष्य है कि वह उस अपराध का दोषी है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है ; या
 - (ii) उसने स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से कोई प्रश्न पूछा है या अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया है अथवा प्रतिरक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार

अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ; वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

- (2) जहाँ धारा 12 के अधीन या धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज दी है या देने की प्रस्थापना की है, या देने का प्रयत्न किया है, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, दिया है या देने की प्रस्थापना की है या देने का प्रयत्न किया है।
- (3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा यदि पूर्वाक्त परितोषण या चीज, उसकी राय में, इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता।"

- to involve imputations on the character of the prosecutor or of any witness for the prosecution; or
- (iii) he has given evidence against any other person charged with the same offence.

22. The Code of Criminal Procedure, 1973 to apply subject to certain modifications.—The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall in their application to any proceeding in relation to an offence punishable under this Act have effect as if,—

- (a) in sub-section (1) of Section 243, for the words "The accused shall then be called upon", the words "The accused shall then be required to give in writing at once or within such time as the Court may allow, a list of the persons (if any) whom he proposes to examine as his witnesses and of the documents (if any) on which he proposes to rely and he shall then be called upon" had been substituted;
- (b) in sub-section (2) of Section 309, after the third proviso, the following proviso had been inserted, namely :—
"Provided also that the proceeding shall not be adjourned or postponed merely on the ground that an application under Section 397 has been made by the party to the proceeding.";
- (c) after sub-section (2) of Section 317, the following sub-section had been inserted, namely :—
"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the Judge may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, proceed with enquiry or trial in the absence of the accused or his pleader and record the evidence of any witness subject to the right of the accused to recall the witness for cross-examination.";
- (d) in sub-section (1) of Section 397, before the Explanation, the following proviso had been inserted, namely :—
"Provided that where the powers under this section are exercised by a Court on an application made by a party to such proceedings, the Court shall not ordinarily call for the record of the proceedings :—
(a) without giving the other party an opportunity of showing cause why the record should not be called for, or
(b) if it is satisfied that an examination of the record of the proceedings may be made from the certified copies."

23. Particulars in a charge in relation to an offence under 1[Section 13(1)(a)].—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), when an accused is charged with an offence under

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, figures, brackets and letter "section 13(1)(c)".

का है कि उसमें अभियोजक के या अभियोजन पक्ष के लिए किसी साक्षी के चरित्र पर लांछन अंतर्गत है ; या

- (iii) उसने उसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया है।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कुछ उपान्तरणों के अधीन लागू होना.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही पर लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे माने—

- (क) धारा 243 की उपधारा (1) में "तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरन्त या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे, उन व्यक्तियों की (यदि कोई हों) जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहती हैं और उन दस्तावेजों की (यदि कोई हों) जिन पर वह निर्भर करना चाहता है, एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गए हों ;
- (ख) धारा 309 की उपधारा (1) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया था, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि कार्यवाही मात्र इस आधार पर कि कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन आवेदन किया गया है, स्थगित या मुलतवी नहीं की जाएगी।";
- (ग) धारा 317 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो और ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहते हुए, लेखबद्ध कर सकता है।";
- (घ) धारा 397 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात् :—
"परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसी कार्यवाहियों के किसी एक पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर किया जाता है, वहां वह न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख को मामूली तौर पर—
(क) दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतुक दर्शित करने का अवसर दिये बिना नहीं मंगाएगा कि अभिलेख क्यों न मंगाया जाए ; या
(ख) उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा प्रमाणित प्रतियों से की जा सकती है।"

23. 1[धारा 13(1) (क)] के अधीन अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, जब

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "धारा 13 (1) (ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[clause (a)] of sub-section (1) of Section 13, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of Section 219 of the said Code:

Provided that the time included between the first and last of such dates shall not exceed one year.

24. * * *

25. **Military, Navy and Air Force or other law not to be affected.**—(1) Nothing in this Act shall affect the jurisdiction exercisable by, or the procedure applicable to, any Court or other authority under the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950), the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of any such law as is referred to in sub-section (1), the Court of a Special Judge shall be deemed to be a Court of ordinary criminal justice.

26. **Special Judges appointed under Act 46 of 1952 to be Special Judges appointed under this Act.**—Every Special Judge appointed under the Criminal Law Amendment Act, 1952 for any area or areas and is holding office on the commencement of this Act shall be deemed to be a Special Judge appointed under Section 3 of this Act for that area or areas and, accordingly, on and from such commencement, every such Judge shall continue to deal with all the proceedings pending before him on such commencement in accordance with the provisions of this Act.

Notes

On a harmonious reading of Section 5(2), Prevention of Corruption Act with the provisions of Section 306, specially Section 306(2)(a), CrPC and Section 26, Prevention of Corruption Act, this Court is of the opinion that the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, while trying offences, has the dual power of the Sessions Judge as well as that of a Magistrate. Such a Special Judge conducts the proceedings under the Code both prior to the filing of charge sheet as well as after the filing of charge sheet, for holding the trial. Therefore, the power of granting pardon, prior to the filing of the charge sheet, is within the domain of judicial discretion of the Special Judge before whom such a prayer is made. Supreme Court made it clear that in the course of holding trial, the Special Judge

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, brackets and letter "clause (c)".

2. Omitted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to omission Section 24 stood as under:—

"24. **Statement by bribe giver not to subject him to prosecution.**—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by a person in any proceeding against a public servant for an offence under Sections 7 to 11 or under Section 13 or Section 15, that he offered or agreed to offer any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing to the public servant, shall not subject such person to a prosecution under Section 12."

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

किसी अपराधी पर धारा 13 की उपधारा (1) के 1[खंड (क)] के अधीन किसी बात का आरोप है, तब उसे आरोप में उस सम्पत्ति को, जिसके संबंध में अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मर्दों या निश्चित तारीख को विनिर्दिष्ट किए बिना, वर्णित करना पर्याप्त होगा और इस प्रकार विरचित आरोप उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी तारीखों में से प्रथम और अंतिम तारीख के बीच का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

24. * * *

25. **सेना, नौसेना और वायुसेना सम्बन्धी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना.**—(1) इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47), तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्ताव्य अधिकारिता को, या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) संकाओं के निराकरण के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी विधि के प्रयोजनार्थ जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सामान्य दण्डिक न्याय का न्यायालय समझा जाएगा।

26. 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना.—किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहा प्रत्येक विशेष न्यायाधीश उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा और ऐसे प्रारम्भ से ही प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश, तदनुसार, ऐसे प्रारम्भ पर उसके समक्ष लम्बित सब कार्यवाहियों का निपटारा, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करता रहेगा।

टिप्पणी

दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 306, खासतौर से धारा 306(2)(क) के उपबन्धों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 26 की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ सुव्यवस्थित पाठन पर, यह न्यायालय इस राय का है कि अपराधों का विचारण करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के पास सब न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तिपूर्व होती है। ऐसा विशेष न्यायाधीश, विचारण करने के लिए आरोप पत्र के दाखिल करने के परचात तथा आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व दोनों की स्थितियों में संहिता के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करता है। अतः आरोप पत्र के दाखिल करने के पूर्व क्षमा प्रदान करने की शक्ति, उस विशेष न्यायाधीश के न्यायिक विवेक के अधिकार क्षेत्र में है जिसके समक्ष ऐसी प्रार्थना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विचारण करने के दौरान विशेष न्यायाधीश किसी भी क्षमा प्रदान करने वाले आदेश में किए गए सम्प्रेक्षणों से प्रभावित नहीं होगा,

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से विलुप्त। पूर्व में धारा 24 निम्नवत थी:—

"24. **निश्चित देने वाले का उसके कथन पर अभियोक्तित न होना.**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 7 से धारा 11 या धारा 13 या धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उससे उस लोक सेवक को (वैध पारिवर्गिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या प्रस्थापना करने के लिए सहमति दी थी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 12 के अधीन कोई अभियोक्तन नहीं हो सकेगा।"

will not be in any way influenced by the observations in the order granting pardon but will act independently of the same. *Bangaru Laxman v. State*, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678 : (2012) 1 SCC (Cri) 487.

27. Appeal and revision.—Subject to the provisions of this Act, the High Court may exercise, so far as they may be applicable, all the powers of appeal and revision conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) on a High Court as if the Court of the Special Judge were a Court of Session trying cases within the local limits of the High Court.

28. Act to be in addition to any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him.

29. Amendment of the Ordinance 38 of 1944.—In the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944,—

- (a) in sub-section (1) of Section 3, sub-section (1) of Section 9, clause (a) of Section 10, sub-section (1) of Section 11 and sub-section (1) of Section 13, for the words "State Government", wherever they occur, the words "State Government or, as the case may be, the Central Government" shall be substituted;
- (b) in Section 10, clause (a), for the words "three months", the words "one year" shall be substituted;
- (c) in the Schedule,—
 - (i) paragraph 1 shall be omitted;
 - (ii) in paragraphs 2 and 4,—
 - (a) after the words "a local authority", the words and figures "or a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)", or a society aided by such corporation, authority, body or Government Company" shall be inserted;
 - (b) after the words "or authority", the words "or corporation or body or Government Company or society" shall be inserted;
 - (iii) for paragraph 4-A, the following paragraph shall be substituted, namely :—
 "4-A. An offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988";
 - (iv) in paragraph 5, for the words and figures "items 2, 3, and 4", the words, figures and letter "items 2, 3, 4 and 4-A" shall be substituted.

* Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

किन्तु उससे स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा। *बंगारू लक्ष्मण वि० शासन*, (2012) 1 एस० सी० 500 : पृ० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रि० लॉ ज० 678 : (2012) 1 एस० सी० (क्रि०) 487.

27. अपील और पुनरीक्षण.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू हो सकती हैं, कर सकता है, मानो विशेष न्यायाधीश का उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे, और इसमें की कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसे कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो, इस अधिनियम के अतिरिक्त, उसके विरुद्ध संस्थापित की जा सकती है।

29. 1944 के अध्यादेश सं० 38 का संशोधन.—दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 में,—

- (क) धारा 2 की उपधारा (1), धारा 9 की उपधारा (1), धारा 10 के खण्ड (क) और धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, यथास्थिति, "राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) धारा 10 के खण्ड (क) में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) अनुसूची के,—
 - (i) पैरा 1 का लोप किया जाएगा;
 - (ii) पैरा 2 और पैरा 4 में,—
 - (क) "स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई नियम, या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या उससे सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण, निकाय या सरकारी कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई सोसाइटी" शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जाएंगे;
 - (ख) "या प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या निगम या निकाय या सरकारी कम्पनी या सोसाइटी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
 - (iii) पैरा 4अ के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
 "4अ. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध।";
 - (iv) पैरा 8 में, "मद 2, मद 3 और मद 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मद 2, मद 3, मद 4 और मद 4-अ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

* अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

1[29A. Power to make rules.]—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) guidelines which can be put in place by commercial organisation under section 9;
- (b) guidelines for sanction of prosecution under sub-section (1) of section 19;
- (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule, or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

30. Repeal and saving.—(1) The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947) and the Criminal Law Amendment Act, 1952 (46 of 1952) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, but without prejudice to the application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the Acts so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under or in pursuance of the corresponding provision of this Act.

31. Omission of certain Sections of Act 45 of 1860.—Sections 161 to 165-A (both inclusive) of the Indian Penal Code (45 of 1860) shall be omitted, and Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply to such omission as if the said sections had been repealed by a Central Act.

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

1[29क. नियम बनाने की शक्ति.]—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों की क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात् :—

- (क) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, जो धारा 9 के अधीन वाणिज्यिक संगठन द्वारा बनाए जा सकते हैं;
- (ख) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;
- (ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

30. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी।

31. 1860 के अधिनियम सं० 45 की कुछ धाराओं का लोप.— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से धारा 165क तक का (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) लोप किया जाएगा, और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 ऐसे लोप को लागू होगी, मानो उक्त धाराओं का लोप किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा किया गया हो।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018

No. 16 of 2018*

[26th July, 2018]

An Act further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date† as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

* * * * *

19. Amendment of Act 15 of 2003.—In the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in Part A of the Schedule, for Paragraph 8, the following Paragraph shall be substituted, namely:—

“PARAGRAPH 8

Offences under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988)

Section	Description of offence
7	Offence relating to public servant being bribed.
7A	Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.
8	Offence relating to bribing a public servant.
9	Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.
10	Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.
11	Public servant obtaining undue advantage, without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.
12	Punishment for abetment of offences.
13	Criminal misconduct by a public servant.
14	Punishment for habitual offender.”.

* Received the assent of the President on the 26th July, 2018 and assent published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II Section 1 dated 26-7-2018 Pages 1-8.

† 26th July, 2018; vide Notification No. S.O. 3664(E) dated 26th July, 2018.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018

क्रमांक 16 सन् 2018*

[26 जुलाई, 2018]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा†, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

* * * * *

19. 2003 के अधिनियम सं० 15 का संशोधन.—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग क में, पैरा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“पैरा 8

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन अपराध

धारा	अपराध का विवरण
7	लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध।
7क	भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए असम्यक् लाभ प्राप्त करना।
8	लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
9	लोक सेवक को किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देने से संबंधित अपराध।
10	वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति का अपराध का दोषी होना।
11	लोक सेवक द्वारा, ऐसे लोक सेवक द्वारा कार्यवाहियों में या किए गए कारबार में संबद्ध व्यक्ति से बिना प्रतिफल के असम्यक् लाभ प्राप्त करना।
12	अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।
13	लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार।
14	आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड।”।

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 26 जुलाई, 2018 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 26-7-2018 को पृष्ठ 1-8 पर प्रकाशित।

† दिनांक 26 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त, देखिए अधिसूचना क्र० का. आ. 3664(अ) दिनांक 26-7-2018. (23)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/ श्रावण 4, 1940 (शक)
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 4, 1940 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 26th July, 2018/Shravana 4, 1940 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 26th July, 2018, and is hereby published for general information:—

THE PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT, 2018

No. 16 OF 2018

[26th July, 2018.]

An Act further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

49 of 1988.

2. In the Prevention of Corruption Act, 1988 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,—

Amendment of section 2.

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act and the expression “prescribe” shall be construed accordingly;’;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(d) “undue advantage” means any gratification whatever, other than legal remuneration.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(a) the word “gratification” is not limited to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money;

(b) the expression "legal remuneration" is not restricted to remuneration paid to a public servant, but includes all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to receive."

Amendment
of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the trial of an offence shall be held, as far as practicable, on day-to-day basis and an endeavour shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of two years:

2 of 1974.

Provided that where the trial is not concluded within the said period, the special Judge shall record the reasons for not having done so:

Provided further that the said period may be extended by such further period, for reasons to be recorded in writing but not exceeding six months at a time; so, however, that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily four years in aggregate."

Substitution of
new sections
for sections 7,
8, 9 and 10.

4. For sections 7, 8, 9 and 10 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Offence
relating to
public servant
being bribed.

"7. Any public servant who,—

(a) obtains or accepts or attempts to obtain from any person, an undue advantage, with the intention to perform or cause performance of public duty improperly or dishonestly or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant; or

(b) obtains or accepts or attempts to obtain, an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty either by himself or another public servant; or

(c) performs or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purpose of this section, the obtaining, accepting, or the attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offence even if the performance of a public duty by public servant, is not or has not been improper.

Illustration.—A public servant, 'S' asks a person, 'P' to give him an amount of five thousand rupees to process his routine ration card application on time. 'S' is guilty of an offence under this section.

Explanation 2.—For the purpose of this section,—

(i) the expressions "obtains" or "accepts" or "attempts to obtain" shall cover cases where a person being a public servant, obtains or "accepts" or attempts to obtain, any undue advantage for himself or for another person, by abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant; or by any other corrupt or illegal means;

(ii) it shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts, or attempts to obtain the undue advantage directly or through a third party.

"7A. Whoever accepts or obtains or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant, by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.

8. (1) Any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons, with intention—

Offence relating to bribing of a public servant.

(i) to induce a public servant to perform improperly a public duty; or

(ii) to reward such public servant for the improper performance of public duty;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both:

Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage:

Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage:

Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organisation, such commercial organisation shall be punishable with fine.

Illustration.—A person, 'P' gives a public servant, 'S' an amount of ten thousand rupees to ensure that he is granted a license, over all the other bidders. 'P' is guilty of an offence under this sub-section.

Explanation.—It shall be immaterial whether the person to whom an undue advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform, or has performed, the public duty concerned, and, it shall also be immaterial whether such undue advantage is given or promised to be given by the person directly or through a third party.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person, if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in its investigation of the offence alleged against the later.

9. (1) Where an offence under this Act has been committed by a commercial organisation, such organisation shall be punishable with fine, if any person associated with such commercial organisation gives or promises to give any undue advantage to a public servant intending—

Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.

(a) to obtain or retain business for such commercial organisation; or

(b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organisation:

Provided that it shall be a defence for the commercial organisation to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct.

(2) For the purposes of this section, a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant, if he is alleged to have committed the offence under section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence.

(3) For the purposes of section 8 and this section,—

(a) "commercial organisation" means—

(i) a body which is incorporated in India and which carries on a business, whether in India or outside India;

(ii) any other body which is incorporated outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;

(iii) a partnership firm or any association of persons formed in India and which carries on a business whether in India or outside India; or

(iv) any other partnership or association of persons which is formed outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;

(b) "business" includes a trade or profession or providing service;

(c) a person is said to be associated with the commercial organisation, if such person performs services for or on behalf of the commercial organisation irrespective of any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes an offence under sub-section (1).

Explanation 1.—The capacity in which the person performs services for or on behalf of the commercial organisation shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organisation.

Explanation 2.—Whether or not the person is a person who performs services for or on behalf of the commercial organisation is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between such person and the commercial organisation.

Explanation 3.—If the person is an employee of the commercial organisation, it shall be presumed unless the contrary is proved that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organisation.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the offence under sections 7A, 8 and this section shall be cognizable.

2 of 1974.

(5) The Central Government shall, in consultation with the concerned stakeholders including departments and with a view to preventing persons associated with commercial organisations from bribing any person, being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary which can be put in place for compliance by such organisations.

Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.

10. Where an offence under section 9 is committed by a commercial organisation, and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organisation, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this section, "director", in relation to a firm means a partner in the firm."

Amendment of section 11.

5. In section 11 of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, for the words "valuable thing", the words "undue advantage" shall be substituted;

(ii) the words "or agrees to accept" shall be omitted;

(iii) for the words "valuable thing", the words "undue advantage" shall be substituted;

(iv) for the words "official functions", the words "official functions or public duty" shall be substituted.

Substitution of new section for section 12.

6. For section 12 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

- "12. Whoever abets any offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than three years, but which may extend to seven years and shall also be liable to fine."
- Punishment for abetment of offences.
7. In section 13 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—
- Amendment of section 13.
- "(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—
- (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
- (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.
- Explanation 1.*—A person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if he or any person on his behalf, is in possession of or has, at any time during the period of his office, been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income which the public servant cannot satisfactorily account for.
- Explanation 2.*—The expression "known sources of income" means income received from any lawful sources."
8. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
- Substitution of new section for section 14.
- "14. Whoever convicted of an offence under this Act subsequently commits an offence punishable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine."
- Punishment for habitual offender.
9. In section 15 of the principal Act, for the words, brackets and letters "clause (c) or clause (d)", the word, brackets, and letter "clause (a)" shall be substituted.
- Amendment of section 15.
10. In section 16 of the principal Act,—
- Amendment of section 16.
- (a) for the words, brackets and figures, "sub-section (2) of section 13 or section 14", the words, figures and brackets "section 7 or section 8 or section 9 or section 10 or section 11 or sub-section (2) of section 13 or section 14 or section 15" shall be substituted;
- (b) for the word, brackets and letter "clause (e)", the word, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted.
11. In section 17 of the principal Act, in the second proviso, for the words, brackets, letter and figure "clause (e) of sub-section (1)", the words, brackets, letter and figure "clause (b) of sub-section (1)" shall be substituted.
- Amendment of section 17.
12. After section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
- Insertion of new section 17A.
- "17A. (1) No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval—
- (a) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of the Union, of that Government;
- (b) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of a State, of that Government;
- Enquiry or Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.

(c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office, at the time when the offence was alleged to have been committed:

Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person:

Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of three months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of one month."

Insertion of
new Chapter
IVA.

13. After Chapter IV of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:—

CHAPTER IVA

ATTACHMENT AND FORFEITURE OF PROPERTY

Provisions of
Criminal Law
Amendment
Ordinance,
1944 to apply
to attachment
under this Act.

18A. (1) Save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 shall, as far as may be, apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this Act.

15 of 2003.
Ord. 38 of
1944.

(2) For the purposes of this Act, the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 shall have effect, subject to the modification that the references to "District Judge" shall be construed as references to "Special Judge".

Ord. 38 of
1944.

Amendment of
section 19.

14. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) for the words and figures "sections 7, 10, 11, 13 and 15", the words and figures "sections 7, 11, 13 and 15" shall be substituted;

(ii) in clause (a), for the words "who is employed", the words "who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed" shall be substituted;

(iii) in clause (b), for the words "who is employed", the words "who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed" shall be substituted;

(iv) after clause (c), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that no request can be made, by a person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, to the appropriate Government or competent authority, as the case may be, for the previous sanction of such Government or authority for taking cognizance by the court of any of the offences specified in this sub-section, unless—

(i) such person has filed a complaint in a competent court about the alleged offences for which the public servant is sought to be prosecuted; and

(ii) the court has not dismissed the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding:

2 of 1974.

Provided further that in the case of request from the person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, the appropriate Government or competent authority shall not accord sanction to prosecute a public servant without providing an opportunity of being heard to the concerned public servant:

Provided also that the appropriate Government or any competent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:

Provided also that in case where, for the purpose of grant of sanction for prosecution, legal consultation is required, such period may, for the reasons to be recorded in writing, be extended by a further period of one month:

Provided also that the Central Government may, for the purpose of sanction for prosecution of a public servant, prescribe such guidelines as it considers necessary.

Explanation.—For the purposes of sub-section (1), the expression "public servant" includes such person—

(a) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed; or

(b) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed and is holding an office other than the office during which the offence is alleged to have been committed."

15. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"20. Where, in any trial of an offence punishable under section 7 or under section 11, it is proved that a public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempted to obtain for himself, or for any other person, any undue advantage from any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or attempted to obtain that undue advantage, as a motive or reward under section 7 for performing or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly either by himself or by another public servant or, as the case may be, any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate under section 11."

Substitution of new section for section 20.

Presumption where public servant accepts any undue advantage.

16. In section 23 of the principal Act,—

(a) in the marginal heading, for the word, figures, brackets and letter "section 13 (1) (c)", the word, figures, brackets and letter "section 13 (1) (A)" shall be substituted;

(b) for the word, brackets and letter "clause (c)", the word, brackets and letter "clause (a)" shall be substituted.

Amendment of section 23.

17. Section 24 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 24.

18. After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"29A. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) guidelines which can be put in place by commercial organisation under section 9;"

(b) guidelines for sanction of prosecution under sub-section (1) of section 19;"

(c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the

Insertion of new section 29A.

Power to make rules.

rule, or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.”.

Amendment
of Act 15 of
2003.

19. In the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in Part A of the Schedule, for Paragraph 8, the following Paragraph shall be substituted, namely:—

“PARAGRAPH 8

OFFENCES UNDER THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

(49 OF 1988)

Section Description of offence.

7. Offence relating to public servant being bribed.
- 7A. Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.
8. Offence relating to bribing a public servant.
9. Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.
10. Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.
11. Public servant obtaining undue advantage, without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.
12. Punishment for abetment of offences.
13. Criminal misconduct by a public servant.
14. Punishment for habitual offender.”.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

LTT 1996 Part vi

[71] सतर्कता अन्तर्भाग- ४, अधिसूचना संख्या : १३६/३६-४-६३-४४(४७)-८३, दिनांक २७, फरवरी, १९६४, उ०प्र० गजट, असाधारण भाग ४, खण्ड(ख), दिनांक २७ फरवरी, १९६४ को पृष्ठ संख्या १-२ पर प्रकाशित हुआ (ए०पी० सं० १४५४)

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७ सन् १९६५) की धारा- २ की उपधारा (२) और (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल आदेश देते हैं कि अब से इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सदस्यों से निम्नलिखित मामलों में सरकार का पूर्व आदेश करना अपेक्षित नहीं होगा, अर्थात् -

(एक) किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक या उसी पंक्ति के अन्य लोक सेवक को फंसाने या रंगे हाथ पकड़ने के लिए, जबकि उक्त अधिष्ठान से लिखित परिवाद किया गया हो कि ऐसे लोक सेवक ने किसी कार्य के करने के लिए भेंट या इनाम के रूप में किसी पारितोषण (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) की, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा ७ में उल्लिखित है, मांग की है या उसे प्रतिगृहीत करने को सहमत हुआ है।

परन्तु ऐसी कार्यवाही केवल निम्नलिखित के पूर्व आदेशों पर ही की जाएगी :-

(क) जब परिवाद उक्त अधिष्ठान के, मुख्यालय पर प्राप्त हो तो सतर्कता निदेशक और उसकी अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सतर्कता अधिष्ठान :

(ख) जब परिवाद सेक्टर कार्यालय में प्राप्त हो तो सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर कार्यालय के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और उसकी अनुपस्थिति में सेक्टर का प्रभार धारण करने वाले अधिकारी :

(दो) जहां कोई ऐसा लिखित परिवाद न किया हो, ऐसे अराजपत्रित सरकारी सेवक या उसी पंक्ति के अन्य लोक सेवक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, जो ऐसे लोक कार्यालय के परिसर या प्रसीमा, स्थान या वाहन में, जहां पर ऐसा लोक सेवक सामान्यतः अपने कृत्यों का निर्वहन करता है या तत्समय काम करने के लिए तैनात है, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के उप-पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जो इस प्रकार के मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ तैनात हो, भेंट या इनाम के रूप में कोई पारितोषण (वैध पारिश्रमिक से भिन्न), जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा ७ में उल्लिखित है, प्रतिगृहीत करते हुए लाया जाय।

२ राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि सतर्कता अधिष्ठान अन्वेषण की प्रगति की रिपोर्ट सरकार के सतर्कता विभाग को प्रस्तुत करेगा और अन्वेषण पूरा होने पर वह अपने निष्कर्षों और सिफारिशों समेत उसकी विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्तावित आरोप पत्र की प्रतियां, यदि अभियोजन की सिफारिश की जाए, प्रस्तुत करेगा।

३ इसके द्वारा अधिसूचना संख्या ४२६४/३६(२)-३३(१०-३)-७६, दिनांक ३ सितम्बर, १९७७ को अतिक्रमित किया जाता है।

for

LTT 1996 Part - V

[37] English translation of Anubhag-4, Noti.No. 3176/xxxix-4-95-44(33)-81, dated October 9, 1995, published in U.P. Gazette, Extra, Part 4, Section (Kha), dated 9th October, 1995, p.2 [AP2804]
In exercise of the powers under the first proviso to section 17 of Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No.49 of 1988), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No.10 of 1897) and in supersession of Government Notification No. 2565/xxxix-4-93-44(33)-81, dated October 14, 1993, the Governor is pleased to authorise Inspectors of Police in the Uttar Pradesh Vigilance Establishment for the purposes of Section 17 of the said Act of 1988.

[v]—अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका एवं अभिलेख:—

सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड, उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965, उत्तरांचल(उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 तथा उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अधिसूचना सं. 1602/उन्तालीस(2)—217—64, दिनांक: 29-08-1977 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्य करता है।

[vi]—ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:—

- 1— कार्यरत अधि०/कर्मचारियों के वेतन रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 2— मिसलेनियस के बिलो का रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 3— यात्रा भत्ता देयक रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 4— राजकीय सम्पत्ति से सम्बन्धित स्टोक बुक रजिस्टर,(स्टोर शाखा में अवस्थित)
- 5— राजकीय वाहनों की लॉग बुक, (आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 6— कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के सेवाभिलेख(अवस्थापना शाखा में अवस्थित)
- 7— आकस्मिक अवकाश रजिस्टर(अवस्थापना शाखा में अवस्थित)
- 8— अनुक्रमणिका रजिस्टर(अवस्थापना शाखा में अवस्थित)
- 9— रोकड़ बही(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 10— जी.पी.एफ. अग्रिम रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 11— डिस्पेच रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 12— पत्र प्राप्ति रजिस्टर(आंकिक शाखा में अवस्थित)
- 13— जॉच/अन्वेषण आदि की रूपरेखा व प्रगति(गोपनीय शाखा में अवस्थित)
- 14— सू.अधि.अधि. के अनुरोध पत्र की पंजीकरण पंजिका(अवस्थापना शाखा में अवस्थित)
- 15— सू.अधि.अधि. के अपील अनुरोध पत्र की पंजीकरण पंजिका(अव. शाखा में अवस्थित)
- 16— खुली जॉच, अन्वेषण व ट्रैप रजिस्टर(गोपनीय शाखा में अवस्थित)
- 17— अभिसूचना रजिस्टर(गोपनीय शाखा में अवस्थित)
- 18— जनरल डायरी पुलिस प्रपत्र संख्या—217(थाने में अवस्थित)
- 19— केस डायरी पुलिस प्रपत्र संख्या—342(अन्वेषण अधिकारी के पास)

[vii]—किसी व्यवस्था की विशिष्टताएँ जो उसकी संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:—

सतर्कता अधिष्ठान से सम्बंधित नियम, अधिनियम या राजाज्ञा के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से संगठन के कार्य के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में परामर्श या अभ्यावेदन लेने का प्राविधान नहीं है। वर्ष 2023 में टोल फ्री नं. 1064 व विभाग की ई-मेल पर जनता द्वारा की गयी शिकायतों का विवरण:—

वर्ष 2024 मे टोल फ्री न0 1064 पर प्राप्त विजिलेंस एंगल से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड।									
1			2			3		4	
कुल प्राप्त			निक्षेपित आख्या/अभिसूचना संकलन/शासन प्रेषित			सम्पादित ट्रैप देहरादून/हल्द्वानी		लम्बित	
			निक्षेपित आख्या		अन्य विभागो से सम्बन्धित शासन प्रेषित किये गये				
सैक्टर देहरादून (प्रेषित)	सैक्टर हल्द्वानी (प्रेषित)	वैब साईट से प्राप्त	सैक्टर देहरादून	सैक्टर हल्द्वानी			सैक्टर देहरादून	सैक्टर हल्द्वानी	सैक्टर देहरादून
259	120	14	222	101	50	11	9	0	0
393			314		50	20		0	

वर्ष 2024 मे टोल फ्री न0 1064 पर प्राप्त नान विजिलेंस एंगल से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड।						
1		2		3		4
कुल प्राप्त 704		स्क्रीनिंग कमेटी के अवलोकन हेतु प्रेषित 704		बाद अवलोकन स्क्रीनिंग कमेटी 1905 पर प्रेषित 704		भेजे जाने हेतु शेष
सैक्टर देहरादून सम्बन्धित	सैक्टर हल्द्वानी सम्बन्धित	सैक्टर देहरादून	सैक्टर हल्द्वानी	सैक्टर देहरादून	सैक्टर हल्द्वानी	
374	330	374	330	374	330	0

[viii]—ऐसे बोर्डों, परिषद, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके मापमान में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) (viii) में वर्णित बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों को सतर्कता अधिष्ठान के कार्यों में सहभागी रूप में सम्मिलित करने या सलाह के लिए गठन करने का प्राविधान उ.प्र. सतर्कता अधिनियम, 1965, जो कि उत्तराखण्ड में अनुकूलित है, में नहीं किया गया है।

[ix]- अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:-सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय

क.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्वीकृत पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
1	डॉ वी0 मुरुगेसन	अपर पुलिस महानिदेशक	182200-224100, लेवल-15
2	श्रीमती रचिता जुयाल	पुलिस अधीक्षक	78800-209200, लेवल-12
3	श्री सदावृक्ष	संयुक्त निदेशक (विधि)	78800-209200, लेवल-12
4	श्रीमती नमिता सिंह	वित्त नियंत्रक	78800-209200, लेवल-12
5	श्रीमती हर्षवर्द्धनी सुमन	पुलिस उपाधीक्षक	56100-177500, लेवल-10
6	श्री जीवन सिंह बिष्ट	निरीक्षक (एम.)	56100-177500, लेवल-10
7	श्री मनोज रावत	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
8	श्री बचन सिंह राणा	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
9	श्री चन्द्र चन्द्राकर नैथानी	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
10	श्री पंकज पोखरियाल	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
11	श्री कीर्ति कुमार श्रीवास्तव	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
12	श्रीमती नूतर पंवार	निरीक्षक ना.पु.	56100-177500, लेवल-10
13	श्री कुलदीप सिंह	अपर उ.नि. ना.पु.	47600-151100, लेवल-8
14	श्री प्रहलाद सिंह	उप निरीक्षक(एम.)	47600-151100, लेवल-8
15	श्रीमती गीता आर्या	हेड कान्स. ना.पु.	44900-142400, लेवल-7
16	श्री रविन्द्र सिंह रौतेला	अपर उ.नि. ना.पु.	44900-142400, लेवल-7
17	श्री रिज़वान	स0लिपिक/स0लेखाकार	35400-112400, लेवल-6
18	श्री नवनीत सिंह राणा	सहायक उप निरीक्षक(एम.)	35400-112400, लेवल-6
19	श्री भगवती प्रसाद गोदियाल	हेड कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
20	श्री बिरेन्द्र प्रसाद	हेड कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
21	श्री विवेक डबराल	हेड कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
22	श्री पवन कुमार	हेड कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
23	श्री मनोज नेगी	हेड कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
24	श्री पवन कुमार शर्मा	कान्स. ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
25	श्रीमती मंशा	कान्स.ना.पु.	29200-92300, लेवल-5
26	श्रीमती संगीता मिंगवाल	म0 कान्स.ना.पु.	25500-81100, लेवल-4
27	श्रीमती आशा रावत	म0 कान्स.ना.पु.	25500-81100, लेवल-4
28	श्री प्रमोद कुमार	कान्स.ना.पु.	25500-81100, लेवल-4
29	श्रीमती रश्मि यादव	म0 कान्स.ना.पु.	25500-81100, लेवल-4
30	श्री रघुवीर सिंह	कान्स.चालक	25500-81100, लेवल-4
31	श्री युद्धवीर सिंह	कान्स.चालक	25500-81100, लेवल-4
32	श्री जसवंत सिंह पंवार	कान्स.चालक	25500-81100, लेवल-4
33	श्री कुलदीप प्रकाश	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
34	श्री लक्ष्मी प्रसाद	डाटा एंट्री ऑपरेटर (उपनल)	नियत वेतनमान
35	श्री रोहित शर्मा	डाटा एंट्री ऑपरेटर (उपनल)	नियत वेतनमान
36	श्री सुनील कुमार	अनुसेवक (उपनल)	नियत वेतनमान
37	श्री विशाल सिंह	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
38	श्री अरुण जोशी	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
39	श्री बलबीर सिंह	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
40	श्री गुलाब सिंह	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
41	श्री चिंतामणी	चालक (उपनल)	नियत वेतनमान
42	श्री दीपक सिंह रावत	चालक (उपनल)	नियत वेतनमान
43	श्री सुरेन्द्र कुमार	चालक (उपनल)	नियत वेतनमान
44	श्री अमित सिंह रावत	चालक (उपनल)	नियत वेतनमान
45	श्री अनिल कुमार	पर्यावरण मित्र (उपनल)	नियत वेतनमान

46	श्री मनोज सिंह कण्डारी	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
47	श्री पवन कुमार	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
48	श्री संदीप तोमर	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान
49	श्री संजीत सिंह रावत	माली (उपनल)	नियत वेतनमान
50	श्री अंकित	पर्यावरण मित्र (उपनल)	नियत वेतनमान
51	श्री रविकुमार	पर्यावरण मित्र (उपनल)	नियत वेतनमान
52	श्री शिशुपाल	कुक (उपनल)	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर हल्द्वानी, नैनीताल

उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान नैनीताल सेक्टर हल्द्वानी में नियुक्त
अधिकारियों/कार्मिकों का विवरण

पदनाम	नाम सर्व श्री	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
पुलिस उपाधीक्षक	विभा दीक्षित	56100-177500, लेवल-10
	अनिल मनराल	67700-208700 लेवल- 11
अभियोजन अधिकारी	तनुजा वर्मा	56100-177500 लेवल- 10
निरीक्षक ना0पु0	भानू प्रकाश आर्य	56100-177500 लेवल- 10
	विनोद कुमार यादव	56100-177500 लेवल- 10
	हेमचन्द्र पाण्डेय	56100-177500 लेवल- 10
	प्रभात कुमार	56100-177500 लेवल- 10
	प्रकाश चन्द्र जोशी	56100-177500 लेवल- 10
	संदीप रावत	56100-177500 लेवल- 10
उ0नि0(एम)	राजीव उप्रती	56100-177500 लेवल- 10
	दीपक जोशी	44900-142400 लेवल-7
	डुंगर सिंह	44900-142400 लेवल-7
अपर उ0नि0 ना0पु0	पंकज जोशी	44900-142400 लेवल-7
मुख्य आरक्षी ना0पु0	जगदीश सिंह बोहरा	44900-142400 लेवल-8
	दिवाकर वर्मा	44900-142400 लेवल-8
	दीप चन्द्र जोशी	25500-81100 लेवल-4
	सतपाल राम चिन्याल	25500-81100 लेवल-4
	ममता तिवारी	25500-81100 लेवल-8
	सुरेन्द्र सिंह बोरा (डी0आर0)	25500-81100 लेवल-4
	गिरीश चन्द्र सती	25500-81100 लेवल-4
आरक्षी ना0पु0	गिरीश जोशी	25500-81100 लेवल-4
	कृपाल सिंह बिष्ट	25500-81100 लेवल-4
	शंकर सिंह बिष्ट	25500-81100 लेवल-4
	दीपा आर्या	25500-81100 लेवल-4
	हेम चन्द्र भट्ट	25500-81100 लेवल-4
	तारा गोस्वामी	25500-81100 लेवल-4
	आशा भाकुनी	25500-81100 लेवल-4
	राजेन्द्र सिंह मेहरा	25500-81100 लेवल-4
	नीरज पाण्डे	25500-81100 लेवल-4
अनुसेवक (उपनल)	मनोज कुमार (उपनल)	नियत वेतनमान
	देवेन्द्र रायल (उपनल)	नियत वेतनमान
पर्यावरण मित्र (उपनल)	बबलू लाल (उपनल)	नियत वेतनमान

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (उपनल)	रमेश चन्द्र जोशी (उपनल)	नियत वेतनमान
चालक (उपनल)	मोहन चन्द्र जोशी (उपनल)	नियत वेतनमान
	भूपालराम (उपनल)	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान सब सैक्टर अल्मोड़ा

पदनाम	नाम अधिकारी / कर्मचारी	वेतन मैट्रिक्स / लेवल
उ०नि० ना०पु०	रमेश चन्द्र सिंह बिष्ट	47600-151100 लेवल-08
आरक्षी ना०पु०	संजीव सिंह नेगी	25500-81100 लेवल-4
आरक्षी चालक	पूरन सिंह (उपनल)	नियत वेतनमान
अनुसेवक	विजय कुमार (उपनल)	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून

सतर्कता अधिष्ठान देहरादून/सब सैक्टर श्रीनगर में नियुक्त अधिकारियों कार्मिकों का विवरण			
क्रम सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
1	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	पुलिस अधीक्षक	78800-209200, लेवल-12
2	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पुलिस उपाधीक्षक	56100-177500, लेवल-10
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार	अभियोजन अधिकारी(सम्बद्ध)	56100-177500, लेवल-10
4	श्री गुलाब सिंह	अभियोजन अधिकारी	56100-177500, लेवल-10
5	मौ० फारुख आजम	अनुभाग अधिकारी	56100-177500, लेवल-10
6	श्री पवन कुमार	निरीक्षक	56100-177500, लेवल-10
7	श्रीमती किरन असवाल	निरीक्षक	56100-177500, लेवल-10
8	श्री योगेश सिंह देव	निरीक्षक	56100-177500, लेवल-10
9	श्रीमती ज्योति चौहान	निरीक्षक	56100-177500, लेवल-10
10	श्री मनोज नैनवाल	निरीक्षक	47600-151100, लेवल-8
11	श्री महेश सिंह कोश्यारी	समीक्षा अधिकारी	44900-142400, लेवल-7
12	श्री महादेव उनियाल	निरीक्षक	
13	श्रीमती अंजली टोलिया	स०उ०नि०(एम०)(आंकिक)	35400-112400, लेवल-6
14	श्री अश्वनी कुमार	अपर उपनिरीक्षक	44900-142400, लेवल-7
15	श्री दिवाकर शर्मा	अपर उपनिरीक्षक	44900-142400, लेवल-7
16	श्री रघुवीर सिंह चौहान	अपर उपनिरीक्षक	35400-112400, लेवल-6
17	श्री दिगम्बर पंत	स०समीक्षा अधिकारी	29200-92300, लेवल-5
18	श्रीमती सतरुपा शर्मा	म०हे०का०	47600-151100, लेवल-8
19	श्री गोपाल सिंह	का० (पैरोकार)	29200-92300, लेवल-5
20	श्री अनूप रावत	का०	29200-92300, लेवल-5
21	श्रीमती भुवनेश्वरी	म०का०	25500-81100, लेवल-4
22	श्रीमती पूनम	म०का०	25500-81100, लेवल-4

23	श्रीमती शशि तिवारी	म0का0	25500-81100, लेवल-4
24	श्रीमती रेखा भण्डारी	म0का0	25500-81100, लेवल-4
25	श्री दीपक रावत (उपनल)	डाटा एन्ट्री आपरेटर	नियत वेतनमान
26	श्री खेमराज सिंह पयाल (उपनल)	ड्राईवर	नियत वेतनमान
27	श्री सुनील कुमार कैथुरा (उपनल)	ड्राईवर	नियत वेतनमान

सतर्कता अधिष्ठान, सब सैक्टर श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/लेवल
1	श्रीमती कवितानाथ	उ0नि0 (सब सैक्टर श्रीनगर)	44900-142400, लेवल-7
2	श्री अशोक कुमार	का0 ना0पु0	29200-92300, लेवल-5

[x]—प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है:—

सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन उत्तरांचल शासन द्वारा बजट आवंटन के उपरान्त विभागाध्यक्ष/निदेशक, सतर्कता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय एवं सैक्टर कार्यालयों को आवंटित किया जाता है तथा मुख्यालय व सैक्टर स्तर पुलिस अधीक्षक को वेतन भत्ते, मानदेय प्रदान करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपनल के माध्यम से संविदा पर नियुक्त कर्मिकों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्मिक मासिक पारिश्रमिक या प्रतिकर की प्रणाली के अन्तर्गत सतर्कता अधिष्ठान में नियुक्त नहीं हैं।

[xi]—सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:—

लेखाशीर्षक 2062 सतर्कता 105 अन्य सतर्कता एजेंसियां 02 सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष दिनांक 24/04/2025 तक व्यय विवरण				
क्र०सं०	मानक मद	प्राप्त	व्यय	शेष
1	01 वेतन	70000000	5246800	64753200
2	02 मजदूरी	300000	0	300000
3	03 मंहगाई भत्ता	42700000	2782129	39917871
4	04 यात्रा भत्ता	2000000	75000	1925000
5	06 अन्य भत्ते	15000000	1101303	13898697
6	08 पारिश्रमिक	11000000	707666	10292334
7	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	300000	11003	288997
8	10 प्रशिक्षण	200000		200000
9	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	500000		500000
10	21 कार्यालय फर्नीचर	750000		750000
11	22 कार्यालय व्यय	1300000		1300000
12	23 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	550000		550000
13	24 विज्ञापन	500000		500000
14	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	1000000	43479	956521
15	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर व अनुरक्षण	1000000		1000000
16	27 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	600000		600000
17	29 गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	5000000		5000000
18	30 आतिथ्य व्यय	200000		200000
19	31 गुप्त सेवा व्यय	2000000		2000000
20	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	1500000		1500000
21	42 अन्य विभागीय व्यय	1000000		1000000
22	43 औषधि	20000		20000
23	51 अनुरक्षण	1700000		1700000
24	52 लघु निर्माण	2000000		2000000
	कुल योग	161120000	9967380	151152620

[xii]—सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) (xii) में वर्णित सहायिकी कार्यक्रमों का निष्पादन सतर्कता अधिष्ठान या इसके खण्ड कार्यालयों में नहीं किया जाता है।

[xiii]—अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) (xiii) में वर्णित रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों से संबंधित कार्यों का सम्पादन सतर्कता अधिष्ठान/सतर्कता खण्ड कार्यालयों द्वारा नहीं किया जाता है।

[xiv]—किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों:—

सतर्कता अधिष्ठान में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य वर्ष 2022 से ऑनलाईन अंकित किये जा रहे हैं तथा सतर्कता अधिष्ठान को अन्य विभागों/कार्यालयों से प्राप्त पत्रों तथा शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सी.आर.यू. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचित कर सम्बन्धित शाखा प्रभारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। सतर्कता अधिष्ठान में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की गोपनीय पत्रावली/अभिलेखों को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

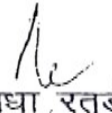
उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5 के अधिसूचना संख्या: 119/xxx-5/20-38(55)2019, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के द्वारा “सतर्कता विभाग” एवं “सतर्कता अधिष्ठान” को आसूचना संगठन(Intelligence Organization) घोषित करते हुए “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” से अवमुक्त किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन
सु0भ0उ0ज0(सतर्कता)अनुभाग
संख्या 63 /XLIII(1)/15-38(36)12
देहरादून दिनांक 03 मई 2015
अधिसूचना

उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान एक ऐसा संगठन है जो अभिसूचना संकलन करने, दण्डिक अपराधों की विवेचना करने और समुचित न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने का कार्य करता है। इस प्रकार अति गोपनीय प्रकरणों में प्रारम्भिक स्तर पर विवेचना के स्तरों तथा अभियोजन के स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से विवेचना की प्रक्रिया एवं अपराधियों व अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

और चूंकि उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन सीधे कार्य करता है;

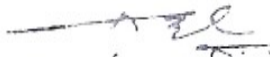
अतः राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के सतर्कता विभाग तथा सतर्कता अधिष्ठान पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) के परन्तुक को छोड़कर अन्य उपबन्ध लागू नहीं होंगे।


(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या 63 / XLIII(1) / 15-38(36)12 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
3. महानिदेशक, पुलिस उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
8. निदेशक, एन0आई0सी0/भीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव



21307
11/11/2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020 ई०

भाद्रपद 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5

संख्या 119/XXX-5/20-38(55)2019

देहरादून, 10 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० 1602/उन्तालिस(2)-217-64 दिनांकित 29 अगस्त 1977 के प्रस्तर 2(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सतर्कता विभाग" एवं "सतर्कता अधिष्ठान" को आसूचना संगठन (Intelligence Organization) घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 कार्मिक/350-2020-100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

1-1-1111/1101-56215-30
12/12/2020
उत्तराखण्ड शासन

2015

22/9/2022

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5
संख्या:- /XXX-5/20-38(55)2019
देहरादून:दिनांक 10 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) संपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० 1802/उन्तालिरा(2)-217-64 दिनांकित 29 अगस्त 1977 के प्रस्तर 2(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सतर्कता विभाग" एवं "सतर्कता अधिष्ठान" का आसूचना संगठन (Intelligence Organization) घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूडी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या 119 / XXX-5 / 2020-38(55)2019 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, पुलिस उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 / मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)

अपर मुख्य सचिव

[xv]—सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है:—

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के कदाचार, दुराचरण, भ्रष्टाचार, घूसखोरी से सम्बंधित मामलों की जाँच/विवेचना करना ही एक मात्र विधि द्वारा नियत कर्तव्य है। इस कारण इनसे सम्बंधित कोई सूचना नागरिकों को उपलब्ध कराना लोकहित में नहीं है तथा इस प्रकार की सूचना उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रकटीकरण से मुक्त हैं।

भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायत/सूचना सतर्कता अधिष्ठान के निम्नांकित पते तथा दूरभाष नम्बरों पर की जा सकती है, शिकायतकर्ता का नाम/पता पूर्णरूप से गुप्त रखा जायेगा:—

1— निदेशक, सतर्कता, उत्तराखण्ड,
14—कारगी ग्रान्ट, हरिद्वार बाईपास रोड़,
बंजारावाला, देहरादून।
दूरभाषनं.— 0135—2520321

2— पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय
14—कारगी ग्रान्ट, हरिद्वार बाईपास रोड़,
बंजारावाला, देहरादून।
दूरभाष नं.—0135—2725535
फैक्स नं.—0135—2721381

3— पुलिस अधीक्षक,
सतर्कता अधिष्ठान,
सैक्टर देहरादून।
दूरभाष नं.— 0135—2720148

4— पुलिस अधीक्षक,
सतर्कता अधिष्ठान,
सैक्टर हल्द्वानी(नैनीताल)
दूरभाष नं.— 05946—246372

उपरोक्त के अतिरिक्त भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायत सतर्कता अधिष्ठान के **टोल फ्री नम्बर—1064** अथवा 1064—एप अथवा मोबाईल/वाट्सअप नं. **9456592300** के माध्यम से प्रभारी हैल्प लाईन श्रीमती किरन असवाल को की जा सकती है। टोल फ्री नम्बर—1064 पर प्रातः 09:00 से रात्रि 09:00 बजे तक शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।

[xvi]—लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:—

- (1) कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय, उत्तराखण्ड के लिए लोक सूचना अधिकारी—
श्रीमती हर्षवर्द्धनी सुमन, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय
- (2) कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून के लिए लोक सूचना अधिकारी—
श्री राजेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक, सैक्टर देहरादून
- (3) कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर हल्द्वानी, नैनीताल के लिए लोक सूचना अधिकारी—
श्री अनिल सिंह मनराल, पुलिस उपाधीक्षक

[xvii]—ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय:—

संख्या— 737/XLIII(1)—13-38(14)13

प्रति,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सतर्कता (सु0प्र0उ0ज0) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 3) जुलाई, 2013

विषय: सतर्कता अधिष्ठान में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे विशेष भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके पत्र संख्या—स0अ0मु0/दो-41/ 2009/614 दिनांक 25.03.13 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता अधिष्ठान में कार्यरत पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अभियोजन अधिकारी, निरीक्षक (ना0पु0), गोपनीय सहायक, निरीक्षक (एम), वरिष्ठ लिपिक (उ0नि0एम0) आशुलिपिक (उ0नि0एम0), सहायक उप निरीक्षक (एम), मुख्य आरक्षी, आरक्षी (ना0पु0) एवं आरक्षी चालक को मूल वेतन का 40% किन्तु अधिकतम रू0 15,000/- जो भी कम हो, प्रति माह का विशेष भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1) विशेष भत्ता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।
- 2) विशेष भत्ता मूल वेतन का 40% अथवा अधिकतम रू0 15,000/-में से जो भी कम हो विशेष भत्ता प्रदान किया जायेगा। किसी भी दशा में विशेष भत्ता रू0 15,000/- से अधिक नहीं होगा।
- 3) विशेष भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस शासनादेश की असंगति की सीमा तक अवक्रमित समझे जायेंगे।
- 4) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक 2070-00-104-04-00 सतर्कता अधिष्ठान के सुसंगत मदों से वहन किया जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-470/XXVII(7)/2013 दिनांक 30 जुलाई 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या— / XLIII(1)—13-38(14)13 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5/7।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या 11/सतर्कता-2004 (270)

प्रेषक

डा0आर0एस0टोलिया
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में

महानिदेशक
पुलिस विभाग
उत्तरांचल, देहरादून

सतर्कता अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 2-1-जनवरी, 2004

विषय:- सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

महोदय

आप अवगत है कि सतर्कता अधिष्ठान में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की तैनाती पुलिस विभाग के अधिकारियों में से की जाती है। सतर्कता अधिष्ठान में पूर्णकालिक पुलिस अधिकारियों की तैनाती न होने के कारण सतर्कता अधिष्ठान का जाँच कार्य प्रभावित हो रहा है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच कार्य तत्परता से प्रभावी रूप से पूर्ण किया जाना भ्रष्टाचार निवारण के लिये आवश्यक है।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तरांचल को पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले तीन-तीन अधिकारियों के नाम अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिनमें से वे उपयुक्त अधिकारियों की तैनाती किये जाने के लिए आपसे अनुरोध कर सकें। निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुझाए गए अधिकारियों की तैनाती सतर्कता निदेशालय में अविलम्ब करने का कष्ट कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0आर0एस0टोलिया)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, सतर्कता, उत्तरांचल शासन
- 2- निदेशक, सतर्कता विभाग, उत्तरांचल

(डा0आर0एस0टोलिया)

मुख्य सचिव